खुलफ़ा-ए-राशिदीन
और इस्लामी निजामे अख़लाक़

मुसन्निफ़ अल्लामा
मुहम्मद अहमद मिस्बाही

हरफ़े आग़ाज़

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلّی علیٰ رسولہ الکریم

ये मकाला ''अहले सुन्नत की आवाज़'' के लिए लिखा गया था अहले सुन्नत की आवाज़ ताजुल उलमा हज़रत मौलाना सैयद अवलादे रसूल मुहम्मद मियाँ बरकाती रहिमहुल्लाह की इदारत में महरारा शरीफ से माहाना शाये होता था दौरे तालिबे इल्मी में इसके चंद शुमारे हज़रत मौलाना शाह सिराजुल हुदा मिस्बाही अलैहिर्रहमा 'बेतुल अनवार' गया के कुतुब खाने से उनके फर्ज़ंद,रफीके गिरामी मौलाना मुबिनूल हुदा मिस्बाही के ज़रीये हासिल करके मैंने पढ़े थे ग़ालिबन ताजुल उलमा हज़रत मौलाना सैयद अवलादे रसूल मुहम्मद मियाँ बरकाती रहिमहुल्लाह आखिरी दौरे हयात में इसका सिलसिल ए ईशाअत मौकूफ हो गया अहसनूल उलमा हज़रत मौलाना शाह मुस्तफा हैदर हसन मियाँ अलैहिर्रहमा के विसाल के बाद प्रोफेसर सैय्यद जमालुद्दीन अस्लम की ओदरत में बतौर सालना इस की नशअते सानिया वुजूद में आई अक्टूबर में उर्से क़ासीमी के मौके पर इसका इजरा हुआ करता था

एक खास मंसूबे के तहत ११सितंबर २००१ ईस्वी के हादसे के बाद मग़रीबी मीडिया ने आलमी पैमाने पर इस्लाम के साथ दहशतगर्दी का प्रोपेगंडा पहले से ज़्यादा ज़ौर शौर के साथ करना शुरू किया इसी के रद्दे अमल में खानकाहे बरकातिया महरारा शरीफ के अहले बसीरत अरबाबे हिल व अक्द ने ये तय किया कि अक्तूबर २००२ का सालानामा "इस्लामी निज़ामे अख्लाक़" के उनवान से शाये हो इससे कब्ल अक्तूबर २००१ का शुमारा "इस्लाम और तसव्वुफ" के

उनवान से शाये हो चुका था

जुलाई २००२ में सैय्यद जमालुद्दीन असलम साहब और सैय्यद मुहम्मद अशरफ मियाँ का हुक्म नामा मोसुल हुआ,जिसमें मेरे लिए "खुलफा ए राशिदिन और इस्लामी निजामे अखलाक" का उनवान मुंत्खब हुआ था जबकि बिरादरे गिरामी मौलाना अब्दुल मुबिन नोमानी रुक्ने अलमज़मउल इस्लामी के लिए "अहादीसे करीमा और इस्लामी निजामे अखलाक'" का उनवान मुताय्यन था

कसरते कार और हुजूमे अफकार के बाईस अब मैं कम ही लिख पाता हूँ बल्कि बाज़ अवकात तो ये हाल होता है कि लिखने वाले हज़रात को खातिर ख्वाह मशवरे भी नहीं दे पाता लेकिन मैंने सोचा कि मज़कुरा गिरामी नामा फिर एक मौका से हज़रत अमीने मिल्लत डाक्टर सैय्यद अमीन मियाँ जब सज्जाद ए आलिया मारहरह मुतहहरह कि ताकीदे मजीद मेरे जुमुद को तोड़ने के लिए एक ताज़ियाना है कि जहां तक हो सके तहरीरी काम भी जारी रहना चाहिए अलहासिल इस तरफ मूतवज्जह हुआ

मैंने महसूस किया कि खिलाफते राशीदा के दौर में तमाम अखलाकी महासिन का एहाता तो एक जाखिम किताब का तालिब है,खास खास अख्लाक जिन का तअल्लुक निज़ामे हुकूमत से होता है उन्ही के ज़िक्र पर इकतीफा किया जाये इसी लिहाज से अहम और मोअतमद व मुस्तनद किताबों कि मुराजत शुरू कर के एक खाका तैयार किया और इशारात नोट कर लिए,मगर लिखने के लिए न फुरसत मिलती न यक सुई हासिल होती मकाला भेजने की मुकर्ररह तारीख भी शायद गुज़र गई, तकाज़ा भी आ गया,ला मुहाला आखिरी सितंबर में सभी काम छोड़ कर दो तीन दिन इसी मज़मून पर लग गया कुल इस के बीस सफाहत हो गए और बहूत से उनवान बाकी रह गए ३०सितंबर कि तारीख आ गई मसोदा जिस हाल में था इरसाल कर दिया मुदिर साहब ने काफी रीआयत और चश्मपोशी के साथ शरीके ईशाअत कर लिया उनका ममनून व शुक्रगुज़ार हूँ

मौलाना मुहम्मद अब्दुल मुबिन नोमानी का मज़मून गालिबन पचास सफाहत के पहुँच गया जबकि बतौर तामहीद अभी वो आयते करीमा और अखलके हसना के तज़किरे में थे बाकाईदा अहादीस कि रोशनी में बहस ना आ सकी थी,वो भी इसी क़दर शाए हो गया,वो बहुत अहम और काबिले मुताला है

बाद ईशाअत बाज़ अहबाब कि ख्वाहिश हुई कि इन दोनों मकालों को अलग अलग किताबों कि शक्ल में शाए किया जाये मौलाना सईदुरहमान मेनेजर अल्माज़उल इस्लामी ने कंपोजिंग के लिए दे दिया मौलाना नोमानि साहब ने अपने मज़मून पर नजरे सानी करके ज़रूरी इजाफा भी कर दिया मगर मुझे न इस कि फुर्सत मिली ,न आइंदा ऐसी तवक्कूअ नज़र आई इस लिए वोह जैसा था वैसा ही नजरे कारीइन है ताहम है कि इफादीयत से खाली ना होगा खास अहबाब और बुजुर्गों से इस्तद्दआ है की मेरे लिए इल्मो अमल और वक्त में बरकत व इस्तेकामत की दुआ फरमाएँ तो करम होगा

मुहम्मद अहमद मिस्बाही

सदरुल मुदर्रिसीन अलजामीअतुल अशराफिया
२०नवंबर २००३ईस्वी शबे जुमूआ
अलमजमऊल इस्लामी मुबारकपुर
मुबारकपुर-आजमगड़ यू. पी.
२५रमज़ानुल मुबारक१४२४हिजरी

ख़ुलफ़ा-ए राशिदीन और इस्लामी निजामे अख़लाक

इस मोज़ू पर गुफ़्तगू करने से पहले मुनासिब होगा कि अखलाक,निजामे अख़लाक़ और इस्लामी निज़ामे अख़लाक़ की कदरे वज़ाहत करदी जाए।

अख़लाक़ ख़ुल्क़ कि जमअ है, इस कि असल ख़ल्क़ है जिसके माना ठीक अंदाज़े पर बनाना है। फ़िर तबाई शकल व सूरत को ख़ल्क़ और फ़ितरी आदत व ख़सलत को ख़ुल्क़ कहा जाता है। (मुफ़रदात इमाम राग़िब अस्फ़हानी) ये आदत अच्छी भी होती है, बुरी भी। इसी लिहाज़ से अख़्लाक़े हसना और अख़्लाक़े कबीहा कहा जाता है। अगरचे उर्दू के बाज़ मुहावरात में "अख़्लाक़" बोल कर अख़्लाक़े हसना मुराद लेते हैं

हर क़ौम या मज़हब या कानून में कुछ ख़ास अवसाफ होते हैं जिन कि पाबंदी इंसान के लिए बाइसे तारीफ होती है और ऐसे ही कुछ दीगर अवसाफ़ होते हैं जिन से बचना जरूरी होता है। किसी फ़र्द या ख़ानदान या समाज और कौम के लिए इन तय शुदा अवसाफ़े हसना को अपनाने या बुरे अवसाफ से बचने की पाबंदी को "निज़ामे अख़्लाक" कहा जाता है।

और "इस्लामी निज़ामे अख़्लाक" वो है जो ख़ालिके

कायनात और उस के रसूले अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने बयान करके दुनिया को उसकी पाबंदी की हिदायत की है और उसके अपनाने पर आख़िरात में इन्आम की बशारत दी है, और खिलाफ़-वर्ज़ी पर सज़ा की वईद सुनाई है।

इस लिए इस्लामी निजामे अख़्लाक़ का रिश्ता खुदा व रसूल और आख़िरत पर ईमान से इस्तवार होता है,और मोमिन अच्छे अखलाक को अपनाता है तो सिर्फ इस लिए नहीं की उससे दुनियावी मन्फअत या निगाहे ख्लक में इज्ज़त हासिल होगी बल्कि इस लिए कि वोह खुदा व रसूल के नजदीक मतलूब और उनकि खुशनुदी का ज़रीआ है इसी लिए वोह खलवातों जल्वत हर हाल में नेक अखलाक कि पाबंदी को ज़रूरी जानता है अगरचे बाज़ सूरतों में उसे दुनियावी नुकसानात से दो चार होना पड़ा।

बहुत से अख़्लाक वो हैं जो गुजिश्ता कौमों में अच्छे शुमार किए जाते थे, और इस्लाम ने भी उन को बरक़रार रखा। मसलन अमानत, सख़ावत, इफ़्फ़त, अदल वगैरह और बाज़ वो हैं जो किसी कौम में उम्दा शुमार होते मगर इस्लाम ने उन्हें बुरा क़रार दिया, मसलन अरब ज़माना-ए-जाहिलिय्यत में कहा करते: انصر أخاک ظالما کان او مظلوما۔ (अपने भाई की हिमायत करो चाहे वो ज़ालिम हो या मज़लूम) इसका हासिल ये है की इंसान में कबीला या खानदान की असबीय्यत का जज़्बा भरपुर होना चाहिए ख्वाह अदलों इंसाफ का खून ही क्यूँ ना हो लेकिन इस्लाम ने इस खयाल को यकसर बदल दिया और जुल्मो ना इंसाफ की हिमायत को किसी हाल में रवा ना रखा,यहाँ तक के एक मर्तबा रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया: انصر أخاک ظالما کان او مظلوما۔ (अपने भाई की मदद करो चाहे वो ज़ालिम हो या मज़लूम) तो सहाबा ए किराम पुकार उठे या रसुलुल्लाह! अगर हमारा भाई ज़ालिम है तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? सरकार ने इरशाद फरमाया उसकी मदद ये है की

ज़ुल्म से उसका हाथ रोक दो। (बुखारी व मुस्लिम)

आज भी खानदान, क़ौम या मुल्क के लिए असबीय्यत के जज़्बात को भडका करके उससे बहुत से ना-जाइज़ फाईदे उठाए जाते हैं, और उसे अच्छा समझा जाता है, इसलिए कि उन कौमों का अस्ल मज़हब "नफ़ा आंदोज़ी" है, चाहे वो किसी तरह भी हासिल हो, और चाहे वो काम अक़्ले सलीम और मज़हब कि रू से कितना ही बुरा हो, मगर उनके नज़दिक अच्छा है।

इस तमहिद के बाद उन अखलाक व आदात की तसील व तौज़िह होनी चाहिए जो खुदा व रसूल के नज़दिक मतलूब हैं या जिन से बचना ज़रूरी है मगर ये तफसील खुद एक मुस्तकिल मज़मून की तालिब है,इसलिए यहाँ सिर्फ चंद अखलाके हसना और अख्लाके काबिना की फहरिस्त देने के बाद अस्ल ऊनवान पर गुतगू की जायेगी

अख़्लाक़ हस्ना (अच्छे अख़्लाक़):-

१. ईमान २. ईख्लास ३.तदब्बूर (ग़ौर व फ़िक्र करना)

४. तफक्कुर (फ़िक्र करना) ५. तअम्मुल (ग़ौर करना) ६. इताअत (फ़रमांबरदारी करना) ७. इस्तिकामात (मज़बूती के साथ क़ायम रहना)

८. खौफे खुदा ९. रज़ा १०. नमाज़ ११. रोज़ा १२. हज १३. ज़कात १४. पाकीज़गी १५. इफफत् (पारसाई) १६. हूस्ने सुलूक १७. इन्फ़ाक़ फ़िल-खैर (भलाई के रास्ते में ख़ैर करना) १८. ज़िक्र १९. दुआ २०. इस्तिआनत (मदद तलब करना) २१. दवाते खैर २२. इर्शादे हक़ (सच का रास्ता दिखाने वाला) २३. मौइज़त २४. बशारत २५. इन्ज़ार (डराना) २६. शुक्र २७. तवाज़ूअ (इन्केसारी) २८. सब्र २९. इहतिसाब (हिसाब लेना) ३०. यक़ीन ३१. तवक्कल ३२.

कुव्वते इरादा ३३. हिम्मत ३४.अज़्म (इरादा) ३५. सबात (क़ायम रहना)
३६. तौबा ३७. इस्तिआज़ा (अल्लाह की पनाह मांगना) ३८. इस्तिग़फ़ार
३९. इस्तिख़रा (नेकी की तौफ़ीक़ मांगना) ४०. फ़िरासत (समझ बूझ)
४१. रिज़्क ४२. इताब (अक़्लमंदी) ४३. इन्साफ़ ४४. इहतियात
४५. अमानत (दियानत दारी) ४६. रास्तबाज़ी ४७. इबरत पज़ीरी (इबरत सीखना) ४८. क़बूले नसीहत ४९. हया ५०. बेदार मग़्ज़ वग़ैरह

अख़्लाक़े क़ाबिहा (बुरे अख़्लाक़):-

१. इल्हाद (सीधे रास्ते से फिर जाना) २.बद-दीनी
३.ना-फ़रमानी
४. गुमराह-गरी ५. सहर (जादू टूना) ६. सरकशी (बग़ावत)
७. सख़्त-दिली ८. फ़रेबे नफ़्स ९. तकब्बुर १०. बुख़्ल (कंजूसी)
११. बुज़-दिली १२. इसराफ़ (फिजूल ख़र्ची) १३. ज़िना
१४. फ़हश गोई १५. तकासुर (बहुत ज़्यादा होना) १६. ग़फ़्लत
१७. तमअ़ (लालच) १८. गज़ब १९. क़त्ले नाहक २०. जुल्मो ज़ूयादती

जौहद व क़नाअत

२१. बदकारी २२. रिश्वत २३. ख़्यानत २४. निफाक
२५. एहसान ना-शनासी २६. चोरी २७. वालिदैन की

नाफ़रमानी

२८. किज़्ब (झूट) २९. ग़ीबत ३०. बोहतान (बुरा मुआमला)
३१. चुगलखोरी ३२. हराम खोरी ३३. सूद ३४. सुए मुआमलत
३५. रियाकारी ३६. बद्सुलूकी ३७. किना परवरी (कीना पालना)
३८. हसद ३९. बद अहदी (वअ्दा ख़िलाफ़ी)
४०. तआवून अलल इस्म (गुनाह पर मदद करना) वगैरह

इस फहरिस्त में ईहाता अकसूद नहीं, चंद के शुमार पर इक्तिफा है तफ़्सील अहयाउल ऊलूम अज़ इमाम गज़ालि (४५०-५०५हिजरी) और अल्हदिकतून्नदीया शरहुततारिक़तुल मुहम्मदीया अज़ अल्लामा अब्दुल ग़नी नाबलूसी (१०५० हि.-११४३ हि) में देखि जा सकती है।

★ ★ ★

साहबा ए किराम की जमाअत वो अजीमुल मर्तबत जमाअत थी जिसकी तरर्बियत रसूले अकरम सलल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाई थी। इस लिए ये नुफ़ूसे कुदुसिया अख़्लाके आलिया का नमूना थे। उनमें उन हज़रात का हिस्सा ज़्यादा था, जिनको फैज़े सोहबत और तर्बियते सरकारे रिसालत से हज़्ज़े वाफ़र मिला था। और उन में भी खुलफा ए राशिदीन का दर्जा सब से बलंद व बाला और अरफ़अ व आला था। इस लिए जब इन हज़रात ने ज़मामे ख़िलाफत संभाली है तो पूरी उम्मत में वही रूह जारी व सारी रखने की कोशिश की जो ज़माना ए रिसालत से उन्हें हासिल हुई थी। इन हज़रात ने खौफ़े खुदा, अमानत व दयानत, पासे अहद, अहसासे ज़िम्मेदारी, इंसानी हमदर्दी, ज़ुहद व क़िनाअत, ईसार व तवाज़ूअ और अदलो इंसाफ वगैरह अख़्लाके आलिया का वो रिकार्ड कायम किया है जिस की नाज़ीर दुनिया की किसी कौम में नहीं मिल सकती। इसके चंद नमूने ज़ैल में मुलाहिज़ा फरमाएँ ।

इमारतो हुकूमत मिलने के बाद होता ये है कि आदमी बड़े ऐशो

आराम कि ज़िंदगी अपना लेता है, खान पान, लिबासो पोशाक बर्तन व सामान ,मकानो जायदाद, खिदमो हिशम में शाहाना ठाठ बाट आ जाता है, और सारा हिसाबो किताब कौमी मिल्कियत से चुकाया जाता ह। सिर्फ वज़ीरों और हुक्काम की ज़ात पर आने वाले खर्चों का हिसाब लगाया जाए तो मुल्क भर कि रिआया या अक्सर रिआया के मजमुई ख़र्चो के करीब पहुँच जाये, मगर इस सिलसिले में खुल्फा ए राशिदीन का तर्जे अमल सारी दुनिया के मालदारों से बिल्कूल अलग थलग है। उन हजरात में से जिस के पास वुसअत हुई बैतूल माल से एक हिब्बा भी अपनी ज़ात पर सर्फ ना किया और जो हजरात लेने पर मजबूर हुये उन्होंने उतना हि लिया जिस से एक आम शहरी की गुज़र बसर हो सके। ज़ैल के वाकियात दीद ए इबरत से पढ़ने के काबिल हैः

(१) हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदीयल्लाहु अन्हु कपड़े की तिजारत किया करते थे, उसी से अपने बाल बच्चों की परवरिश किया करते। इब्ने असाकिर का बयान है कि बारे खिलाफत सर पर आने के बाद भी ६ माह तक अपनी तिजारत से ही घर के ख़र्चे का इंतेज़ाम करते और इब्ने सअद ने अता बिन साईब से ये रिवायत की है कि खिलाफत कि सुबह हाथों में कपड़े लेकर अबू बकर बाज़ार की तरफ चले तो रास्ते में हज़रत उमर मिले और अर्ज़ कियाः अब आप के ऊपर ख़िलाफत की ज़िम्मेदारी आ चुकी है तो तिजारत की मश्गूलियत के साथ ख़िलाफत का काम कैसे सर अंजाम होगा? हज़रत अबू बकर ने फरमायाः फिर मेरे अहलो अयाल कि गुज़र बसर का ज़रीया क्या होगा? हज़रत उमर ने कहाः उसका इंतेज़ाम हुकूमत की जानिब से होगा। चलिये, अबू उबैदा बिन जर्राह आप के लिए वज़ीफ़ा मुकर्रर करेंगे। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने मुहाजिरीन में से एक मुतवस्सित आदमी के बराबर खुराक और लिबास मुकर्रर किया। (तबक़ात इब्ने सअ़द, तारीखुल खुलफा, इमाम जलालुद्दीन सुयुति, स.७८)

(२) यही इस्लामी हुकूमत के सबसे बड़े फ़रमांरवा का समाने मईशत था, जिस पर वो ज़िन्दगी भर कायम रहे। आखरी वक़्त में उन के पास एक ऊंटनी रह गई थी, जिसका दूध पीते थे, एक लगन जिसमें खाना खाते और एक बोसीदा चादर जो ओढ़ने के काम आती। उनके मूताल्लिक हज़रते आयशा सिद्दीका रदीयल्लाहु अनहा से फरमायाः देखो! इन चीजों से फ़ाईदा उठाने का हमें उसी वक़्त तक हक़ था जब तक हम मुसलमानों का काम अंजाम देते थे, मेरे मरने के बाद ये सब हज़रत उमर के पास भेज देना। बादे विसाल हज़रते सिद्दीक़ा ने भेजा तो हज़रते उमर ने फ़रमायाः अबू बकर! आप पर अल्लाह की रहमत हो, आप ने अपने बाद आने वाले को मशक़्क़त में डाल दिया। (मुसनद तबरानी, तारीखुल खुलफ़ा, स. ७८)

(३) एक बार हज़रत सिद्दीके अकबर की अहलिया ने किसी मीठी चीज़ की फ़रमाईश की, सिद्दीक़े अकबर ने फ़रमायाः हमारे पास उसे ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अहलिया ने कहा मैं चंद दिन के अनदर ख़र्चो से बचा कर जमा कर दूँगी, जिस से उसका इंतेज़ाम हो जाए। फ़रमायाः ऐसा कर सकती हो तो करो। बहुत दिनों के बाद वो थोड़े से पैसे जमा कर सकीं, और हज़रते सिद्दिक़ को बताया कि अब इंतेज़ाम हो जाएगा। सिद्दीक़े अकबर ने वो रक़म उनसे लेकर बैतुल माल में दाखिल करदी, और आईन्दा ख़र्चे में से उतनी मिक़दार कम करदी। और पहले के ख़र्चो में से उसका तावान बैतुल माल में जमा किया, और फ़रमायाः इतना हम अपने ख़र्च से ज़्यादा लिया करते थे। (अलकामिल, इब्ने असीर, जि.२, स. २६६)

इस एहतियात और वरअ व तक़वा कि मिसाल किसी दूसरी क़ौम के फ़रमांरवा में क्या मिलेगी? खुलफ़ा ए राशिदीन के बाद किसी मुसलमान हुक्मरान की तारीख़ में भी नहीं मिल सकती।

(४) इसी पर बस नहीं, इन्तेक़ाल से पहले सिद्दीक़े अकबर ने ये भी वसीयत फरमाई कि मेरी फुलां ज़मीन बेच दी जाए और अब

तक क़ौमी मिल्कियत से जितना कुछ मैं ले चुका हूँ उस ज़मीन कि क़ीमत से अदा कर दिया जाए। (अलकामिल, इब्ने असीर, जि.२, स.२६६)

(५) हज़रत उमर रदीयल्लाहु अन्हु का दौरे ख़िलाफत आया तो उन्होने मुसलमानों से फ़रमाया : मैं एक ताजिर आदमी था, मेरी तिजारत से मेरे अहलो अयाल को फ़राख़ी हासिल थी, अब आप लोगों ने मुझ को ख़िलाफत के कामों में लगा दिया तो ये बतायें कि माले मुस्लिमीन से किस क़द्र मुझे लेने की इजाज़त है? हज़रते आली भी मौजूद थे, उन्होने कोई जवाब न दिया। अकसर हज़रात ने कहा : आली क्या कहते हैं? उन्होने फ़रमायाः उमर! आप को उतना ही लेने का हक़ है जिस से दस्तूर के मुताबिक आप का और आप के अहलो अयाल का काम चल सके। इस से ज़्यादा की तुम्हें इजाज़त नहीं। दीगर हज़रात ने इस की ताईद की ।

हज़रत उमर बस ख़र्च भर लेते थे, बाद में ज़रूरत ज़्यादा हो गई और बहुत मशक्कत में पड़े। ये देख कर हज़रत उस्मान और हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत जुबै बड़े बड़े सहाबा ए किराम रदीयल्लाहु अनहुम की राय हुई कि अब उमर के वज़ीफ़े में इज़ाफ़ा कर देना चाहिए। हज़रत उस्मान ने फ़रमायाः इस बारे में किसी तरह खुद हज़रत उमर की राय मालूम करनी चाहिए। इन हज़रात ने उम्मुल मोमिनीन हज़रते हफ़सा बीनते फ़ारूक़ रदीयल्लाहु अनहुमा को वास्ता बनाया, इस तरह कि हज़रत उमर को ये ना मालूम हो कि कुछ साहबा उनकी राय जानना चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने आकर फ़रमाया कि इस सख़्त हालत में अपने वज़ीफ़े में कुछ इज़ाफा करा लेना चाहिए। इस पर हज़रत उमर गज़बनाक हो गए। फ़रमायाः बताओ तुम्हारे घर में रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे उम्दा लिबास क्या था? उन्होंने कहाः गेरवे रंग के दो कपड़े, जिन्हें जुमुआ व ईदैन मैं और वुफ़ूद के सामने पहन कर तशरीफ़ लाते। फ़रमायाः सबसे उम्दा कौन सी ग़िजा है, जो तुम्हारे यहाँ सरकार ने तनावुल फरमाई हो? कहाः जौ की गरम रोटी, जिस पर मैंने शहद डाल कर उसे चिकनी और मीठी बना दिया। फ़रमायाः तुम्हारे यहाँ सबसे उम्दा

और नरम व गुदाज़ बिछोना क्या था? कहाः ऊन की मोटी चादर जिसे गरमी में चार तह कर दिया जाता और जाडे में पूरी फैला कर आधी बिछा दी जाती और आधी ओढ़ ली जाती। फ़रमाया : रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदरत होते हुये ज़्याादा को तर्क कर दिया, और कद्रे किफ़ायत पर गुज़र बसर किया। मैं भी इसी तर्ज़े अमल की पैरवी करूंगा। (अलकामिल, इब्ने असीर, जि. २, स. २३३)

हज़रत इकरमा बिन ख़ालिद का बयान है कि हज़रत हफ़्सा और अब्दुल्लाह वगैरहुमा ने हज़रत उमर से कहाः अगर आप उम्दा गिज़ा खाते तो ये हक़ कि अदाएगी कि राह में आपके लिए ज़्यादा कुव्वत का बाईस होता। फ़रमायाः क्या तुम सब कि यही राय है? उन्होने कहा हाँ! फ़रमायाः तुम्हारी ख़ैर ख़्वाही का मुझे एतराफ़ है, लेकिन मुझ से पहले दोनों हज़रात जिस राह पर गामज़न रह चुके हैं अगर मैं ने वो राह छोड़ दी तो उन कि मंज़िल तक मेरी रसाई न हो सकेगी । (तरिखुल इस्लाम व वफ़ियातुल मशाहीर वल-एअ़लाम, अज़ शमसुद्दीन मुहम्मद बिन अहमद जुहबी, २/२६७ - कंज़ुल उम्मालः १४/२०३ - तारीखुल खुलफ़ा लिल्सुयुती : १२८)

तवाज़ो (इन्कैसारी)

(६) हज़रत उमर रदीयल्लाहु अनहु ने एक लड़की को देखा कि कमज़ोरी की वजह से उसके क़दम सीधे नहीं पड़ते। फ़रमायाः ये कौन है? हज़रते अब्दुल्लाह ने अर्ज़ कियाः आप की बेटी है। फ़रमायाः ये मेरी कौन बेटी है? अर्ज़ कियाः मेरी बेटी हौ फ़रमायाः इसे इतनी कमज़ोरी क्यूँ पहुंची? अर्ज़ कियाः आप के ख़िलाफत के कामों ने इसका ये हाल बना दिया है। ख़र्च आप देते नहीं। फ़रमायाः अब्दुल्लाह! खुदा कि क़सम!! मैं तुम्हारी औलाद की किफ़ालत नहीं कर सकता, तुम ख़ुद इन का इंतेज़ाम करो। (तारीखे जुहबीः २/२७१ - मनाक़ीबे उमर, इब्ने जोज़ीः १०५- तबक़ात इब्ने सअदः ३/२७७)

(७) हज़्ज़रत उमर कभ सुसराल के एक साहब आए और चाहा कि बैतुल-माल से कुछ दे दिया जाए। हज़रत उमर ने उन्हें डांटा और फ़रमायाः तुम ये चाहते हो कि मैं ख़यानत कार बादशाह के रूप में खुदा के यहाँ पहुंचू? फिर अपने ज़ाती माल से उन्हें दस हज़ार दिरहम अता किए। (तारीख़े ज़हबीः २/२७१- तबक़ात इब्ने सअदः ३/३०३, ३०४- तरिखुल खुलफ़ा लिल्सुयुतिः १३३)

(८) हज़रत उमर रदीयल्लाहु अन्हु अपने दौरे ख़िलाफत में ऊन का जुब्बा पहनते, जिसमें पेवंद लगे होते, बाज़ पेवंद चमड़े के भी होते। इसी हालत में दुर्रा लिये बाज़ारों में गश्त करते, लोगों को ग़लतीयों पर सज़ा देते। रास्ते में टूटे हुए धागे और गुठलियाँ पाते तो चुन के लोगों के घरों में डाल देते कि लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें।

(९) अब्दुल्लाह बिन आमिर बयान फरमाते हैं कि मैं एक हज में हज़रत उमर के साथ था। कहीं भी उनहोंने मंज़िल कि तो कोई शामियाना या ख़ैमा नहीं लगाया, ऊन कि चादर या चमड़े का दस्तर-ख़्वान किसी दरख़्त पर डाल देते और उसी के साये में आराम कर लेते।

(१०) किसी शख़्स को गवर्नर बना कर भेजते तो उस से ये शर्त लेते कि तुर्की घोड़े पर सवारी न करना, उम्दा गिज़ा न खाना, नरम लिबास न पहनना, ज़रूरत-मंदों के लिये दरवाज़ा बंद न रखना, अगर ऐसा किया तो सज़ा के मुस्तहिक होगे। (तरिखुल खुलफ़ा, १२८)

खुलफ़ा ए राशिदिन की ज़िंदगी में इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। सब को जमा किया जाए तो एक किताब तैयार हो जाए, मगर आज जब्कि मामूली और मुतवस्सित आदमी भी हर तरह के ऐशो आराम की जुस्तजू में सरगरदां है, इन वाक़ियात से फ़ाईदा उठाने वाला कौन होगा?

कोई मामूली ओहदा और मनसब मिलने के बाद अपने को पुरानी रविश पर बरक़रार रखना और आम लोगो की तरह ज़िंदगी गुज़ारना बहुत मुश्किल होता है। गवर्नर या सुल्तान या ख़लीफ़ा का मनसब तो बहुत ऊंचा होता है। यहाँ तक पहुँचने के बाद आम मिलने वालों को तो दर किनार

ख़ास नज़्दीक वालों और ख़ास दोस्तों का पासो लिहाज़ इन्तेहाई नादिर है। किसी के सामने ज़िम्मेदारियों और मसरूफ़ियतों का अंबार बीच में होता है, तो किसी के सर में इसके साथ अमीराना नुखुव्वत व पिनदार का नशा

रिआया की ख़बरगीरी और ख़िदमत गुज़ारी

भी समाया होता है। लेकिन कुर्बान जाईए खुलफ़ा ए राशिदीन की सीरत पर कि इतनी अज़ीम व बड़ी सल्तनत की फ़रमांरवाई के बावजूद इस तरह ज़िंदगी गुज़ार दी कि अजनबी आदमी फ़र्क़ नहीं कर सकता कि कौन ख़लीफ़ा है और कौन आम इंसान। कैसर व किसरा के सफ़ीर आते औरु उनकी मामूली व ख़ाकसाराना ज़िंदगी देख कर दंग रह जाते।

१) ख़िलाफत से पहहले हज़रत सिद्दीक़े अकबर का मामूल था कि कमज़ोरों और नादारों का काम कर दिया करते। मुहल्ले की लड़कियां अपनी बकरियाँ लेकर आतीं तो उनका दूध दोह देते । जब ख़लीफ़ा हो गए तो एक लड़की ने कहाः अब हमारी बकरियों का दूध ना दोहेंगे? हज़रत अबू बकर ने सुना तो फ़रमायाः क्यूँ नहीं! क़सम से! मेरा अब भी वही मामूल रहेगा । मुझे उम्मीद है कि मन्सबे ख़िलाफ़त मेरी पहले की ख़िदमत गुज़ारी में फ़र्क़ न ला सकेगा । (अलकामिल, इब्ने असीरः २/२६६)

२) हज़रत उमर रदीयल्लाहु अन्हु अतराफे मदीना में रहने वाली एक नाबीना सन-रसीदा बुढ़िया की देख भाल के लिए जाया करते, उस के लिये पानी भर कर लाते, और दूसरे काम कर दिया करते। कुछ दिनों बाद देखा कि कोई दूसरा शख़्स उन से पहले आकर सारे काम कर जाता है, बहुत कोशिश फरमाई कि खुद पहले पहुंचें मगर न हो सका । एक बार घात में बैठे कि देखें कौन आता है। देखा कि हज़रत अबू बकर हैं, जो उनसे पहले आ जाते हैं। उस वक़्त हज़रत अबू बकर ख़लीफ़ा हो चुके थे। (इब्ने असाकिर- तारीखुल खुलफ़ाः सफ़ाः ८०)

३) एक मर्तबा बैतूल-माल का ऊंट भाग निकला। हज़रत उमर उसकी तलाश में निकले। ऐन उसी वक़्त एक रईस अहनफ़ बिन क़ैस आप से

मिलने के लिये आए। देखा तो हज़रत उमर दामन चढ़ाए इधर उधर दौड़ रहे हैं। अहनफ़ को देख कर फ़रमायाः आओ तुम भी मेरा साथ दो। बैतूल-माल का एक ऊंट भाग गया है। एक ऊंट में जानते हो कितने गरीबों का हक़ होगा? किसी ने कहाः अमीरुल मोमिनीन! खुद क्यूँ ज़हमत उठाते हैं, किसी गुलाम से फ़रमाईये, वो खुद ढूंढ लाएगा। फ़रमायाः मुझ से बढ़ कर गुलाम कौन होगा?

४) हज़रत अली मुर्तज़ा रदीयल्लाहु अन्हु खजूरों का बोझ अपनी चादर में लिये बाज़ार से आ रहे थे। लोगों ने देखा तो अर्ज़ कियाः अमीरुल-मोमिनीन! ये बोझ हम पहूँचाए देते हैं। फ़रमायाः साहिबे अयाल को अपना बोझ उठाने का ज़्यादा हक़ है। (अलकामिल, इब्ने असीरः २/७५०)

अरबाबे हुकूमत अपनी शानदार कोठियों में दादे अेश देते हैं, रइयत के लोग किस मुसीबत में गिरफ़तार हैं उन्हें ख़बर भी नही। हुकूमत के कारिंदे आम तौर पर यही ख़बर देते है कि हर जगह खुश हाली और अमनो अमान है। ये हुक्काम अगर खुद पब्लिक से मिलें, नादारों और परेशान हालों की मिज़ाज पुर्सी करें तो उन्हें क़ौम की ज़रूरतों और रिआया के मसाईल का अंदाज़ा हो। अगर किसी को सही सुरते हाल मालूम भी है तो उसे अपने आराम से फ़ुरसत नहीं। फिक्र है तो ये कि मेरा बैंक बैलेंस और मेरी अमलाक व जायदाद ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हों। मैं रिश्वत सतानी और माल जमा करने में दूसरों से आगे कैसे बढ़ूं। हुक्काम के इस अंदाज़ ने अच्छे अच्छे अच्छे मुल्कों की कमर तोड़ कर रख दी। क़ौमी अमलाक और क़ौम दोनों की बरबादी में हर सूबह व शाम इज़ाफा हो रहा है। और ये एक ऐसा सैलाबे बला है जो थमने का नाम नहीं लेता।

मगर ख़ुलफ़ा ए राशिदीन आम पब्लिक में उठते बैठते, उनके दुख दर्द सुनते, और उसका मुदावा करते, ऐशो इशरत और माल जमा करने का उनके यहाँ तसव्वुर भी नहीं था। एक अज़ीम सल्तनत की बाग डोर हाथ में रखने के बावजूद कमज़ोरों की ख़िदमत, बीमारों की मिज़ाज पुर्सी,

परेशान हालों की ख़बरगीरि और ग़मज़दों कि ग़म-ख़्वारी उनकी ज़िंदगी का मामूल था।

१) एक बार बाज़ारे मदीना के क़रीब कोई काफ़िला रात के वक़्त आया। हज़रत फ़ारूक़े आज़म का दौरे ख़िलाफ़त था। फ़ारूक़े आज़म को फ़िक्र लाहिक़ हो गई कि कहीं इस काफ़िले पर चोरों की दस्त-दराज़ी न हो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदीयल्लाहु अनहु के यहाँ आए, वो रात की तनहाई में मशगूले नमाज़ थे, नमाज़ पूरी करके पूछाः उमर! इस वक़्त क्यूँ आए? फ़ारूक़े आज़म ने सबब बताया और फ़रमायाः आओ आज की रात इस काफ़िला की पासबानी में गुज़ारें । दोनों हज़रात तशरीफ लाए और काफ़िले से थोढ़ी दूर एक टीले पर बैठे बातों में रात गुज़र दी। (अलकामिल, इब्ने असीर- २/४३३ - तरीख़े तबरीः ४/२०५)

२) अपने दौरे ख़िलाफत में रातों को गश्त करना और रिआया की निगरानी करना हज़रत फ़ारूक़ का मामूल था। उनके गुलाम असलम का बयान है कि एक रात हज़रत उमर "हर्र-ए-वाक़िम" की तरफ़ निकले । साथ में, मैं भी था। जब हम "सिरार" में पहुंचे तो एक जगह जलती हुई आग नज़र आई, फ़ारूक़े आज़म ने फ़रमायाः चलो देखें वहाँ कौन लोग हैं। क़रीब आए तो देखा एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं। आग पर देगची चढ़ी हुई है, और बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। हज़रत उमर ने फ़रमायाः "अस्सलामु अलैकुम या अहलज़्ज़ु" (या अहलुन्नार कहना मुनासिब न समझा) औरत ने सलाम का जवाब दिया। पूछा ये देगची क्यूँ रखी हुई है, और बच्चे क्यूँ रो रहे हैं? जवाब दियाः ये भूख से रो रहे हैं, और देगची मैंने इन्हें बहलाने के लिये रखी है, ताकि समझें कि कुछ पक रहा है और रोते रोते सो जाएँ। खुदा हमारे और उमर के दरमियान फ़ैसला करे। हज़रत उमर ने फ़रमायाः अल्लाह तुम पर रहम करे! उमर को तुम्हारी क्या ख़बर? औरत ने कहाः वो हमारा वाली है तो हम से ग़ाफ़िल और बेख़बर क्यूँ है? मुझसे फ़रमायाः वापस चलो, हम तेज़ी से लोटे। हज़रत फारूक़े आज़म ग़ल्ला के गोदाम तक पहुंचे, एक बोरा लिया,

जिस में आटा, घी, चरबी, खजूरें, कपड़े और दराहिम रखे यहाँ तक कि बोरा भर गया । फ़रमायाः असलम! मेरी पीठ पर लाद दो। मैंने अर्ज़ कियाः ये बोझ ले जाना तो मेरा काम है। मगर उनहोंने इंकार किया। मैंने इसरार किया तो तीसरी या चोथी बार ये फ़रमायाः क्या क़ियामत के दिन भी मेरे गुनाहों का बोझ तुम उठाओगे? ये सुन कर बोरा मैंने उनकी पीठ पर रख दिया, और हम तेज़ी से उस औरत के पास फिर वापस आए। अमीरुल मोमिनीन ने बोरा उस औरत के पास रख दिया, और देगची लेकर उसमें आटा और कुछ चरबी और खजूरें डाल दीं और पकाने लगे। देगची के नीचे आग तेज़ करने के लिये खुद ही फूंकते । मैंने देखा कि धुआं उनकी दाढ़ी के बीच से निकलता जा रहा है और वो पकाते जा रहे हैं। खाना तैयार हो गया तो औरत एक तबक़ लाई, जिस में खाना उंडेल दिया गया। फ़रमायाः बच्चों को खिलाओ, वो खाते खाते आसूदा हो गए। जो बच रहा औरत के पास छोड़ कर उठ गए। उनके साथ मैं भी उठ गया । औरत ने कहाः खुदा तुम्हें जज़ाए ख़ैर दे, ख़िलाफत के हक़दार तुम हो न कि उमर। फ़रमायाः अच्छी बात कहो, जब तुम अमीरुल मोमिनीन के यहाँ जाओगी तो इन-शा अल्लाह वहाँ मुझे पाओगी। अब हज़रत उमर वहाँ से हटे और ज़रा दूरी पर आकर बैठ गए। यहाँ तक कि देखा बच्चे खुश होकर एक दूसरे के साथ हँसते खेलते हुए सो गए, और उन्हें सुकून हो गया, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उठे और मुझ से फ़रमायाः असलम! ये भूख की वजह से रो रहे थे, और उनकी नींद उड़ गई थी। मैंने चाहा कि उनकी खुशी और आराम से सोने की हालत भी देख लूँ तो चलूँ। (अलकामिल, इब्ने असीर, २/४३४ - कंजुल ऊम्मालः १४/२६६)

३) हज़रत सईद बिन मुसय्यब सैयदुत्-ताबईन फ़रमाते हैंः हज़रत उमर उनके घरों पर जाते, जिनके मर्द बाहर किसी जंग में जा चुके हैं और औरतों के पास ख़बर भेजते कि अगर तुम्हें सौदा सुल्फ़ लाने की ज़रूरत हो तो बताओ मैं ला दूँ, वर्ना तुम लोग धोके और घाटे में पड़ सकती हो। वो अपनी कनीज़ों को भेजतीं, हज़रत उमर बाज़ार जाते, तो उन के पीछे

गुलामों और कनीज़ों की एक जमाअत होती, जिन के घरों के लिए ज़रूरियात ख़रीदते, जिनके पास पैसे न होते उनके लिये अपने पास से खरीद देते। (हयातुल हैवान, अल्लामा कमालुद्दीन दमयरीः १/४७)

४) हज़रत उमर अपने दौरे ख़िलाफ़त में जब शाम गए तो वापसी में रिआया कि खबरगीरी के लिए लोगों से कुछ देर के लिये जुदा हो गये। इस दौरान एक बुढ़िया के ख़ेमे के पास से गुज़रे, फ़रमायाः उमर की कुछ ख़बर है? उसने कहाः हाँ शाम से बख़ैरियत रवाना हो चुके हैं, खुदा उसको मेरी जानिब से जज़ा-ए-ख़ैर न दे। फ़रमायाः क्या बात है? उसने कहाः जब से उसने ख़िलाफ़ते मुस्लिमीन कि ज़िम्मेदारी सँभली है, मुझे उसके यहाँ से एक हिब्बा भी न मिला। फ़रमायाः तुम इतने दूर मक़ाम में हो, उमर को तुम्हारी क्या ख़बर? कहाः सुबहान अल्लाह! खुदा की क़सम मैं ये नहीं समझती कि कोई शख़्स लोगों पर हुक्मरां हो और उसे अपनी हुकूमत के मशरिक़ व मग़रीब कि ख़बर न हो। ये सुन कर हज़रत उमर अश्क बार हो गये। कहने लगे, उमर! बुढ़िया भी तुम से ज़्यादा फ़क़ीह हैं। फिर बुढ़िया से फ़रमायाः ऐ खुदा की बंदी! उमर की जानिब से तुम पर जो ज़्यादती हुई है वह कितने में फ़रोख़्त करोगी? उस पर मुझे जहन्नम की तकलीफ़ से तरस आ रहा है। उसने कहाः खुदा तुम पर रहम करे, मुझ से मज़ाक न करो। हज़रत उमर ने फ़रमायाः मैं मज़ाक नहीं करता। उस से इसरार करते रहे, यहाँ तक कि उस से पच्चीस दीनार में ख़रीद लिया। इसी दरमियान हज़रत अली और अब्दुल्लाह इबने मसऊद आ गये, और कहाः अस्सलामु अलैकुम या आमिरुल मोमिनीन! ये सुन कर बुढ़िया ने सर पर हाथ रखा, और कहाः हाए बर्बादी! अमीरुल मोमिनीन के सामने ही मैंने उनको बुरा भला कह दिया। हज़रत उमर ने फ़रमायाः डरो नहीं, तुम पर खुदा रहम फरमाए। फिर लिखने के लिये कागज़ तलब किया, मगर न मिला, फिर अपनी गुदड़ी से एक टुकड़ा काट कर उस पर लिखाः

"बिस्मिल्ला-हिर्रहमा-नीर्रहीम.....ये उसकी दस्तावेज़ है कि जब से

उमर को ख़िलाफ़त मिली है उस वक़्त से फुलाँ वक़्त तक, फुलाँ औरत के जुल्म की शिकायत उमर ने उससे पच्चीस दीनार में ख़रीद ली है। अब ये अगर महशर में रब्बुल आलमीन के हुज़ूर उमर की हाज़री के वक़्त उसके ख़िलाफ दावा करे तो उमर इस से बारी है। इस पर अली बिन अबू

उम्माल की ख़बरगीरी

तालिब और अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद गवाह हैं। रदीयल्लाहु अन्हुम''

फिर ये तहरीर अपने बेटे को दे दी और फरमायाः मेरे मरने के बाद इसे मेरे कफ़न में रख देना। (हयातुल हैवान, लिल्दमेरीः १/४७, मतबअ हिजाज़ी क़ाहिरा १३५३ हि)

५) हज़रत तलहा रदीयल्लाहु अन्हु एक बार रात की तारीकी में निकले। देखा कि हज़रत उमर एक घर में दाख़िल हुए, फिर कुछ देर के बाद बाहर आये। सुबह को हज़रत तलहा उस घर में गए तो देखा कि एक नाबीना अपाहिज बुढ़िया उस में है। फ़रमायाः ये शख़्स तुम्हारे यहाँ किस लिए आता है? उस ने कहाः अरे वह तो इतने साल से मेरी यहाँ मेरी देख भाल के लिए आता रहता है। मेरी ज़रूरत की चीज़ें फ़राहम करता है, और गंदगी दूर करता है। ये सुन कर हज़रत तलहा सय्यिदूना फ़ारूक़ की ख़िदमत गुज़ारी पर दंग रह गये। कहने लगे तलहा तेरी माँ तुझ पर रोये। तू उमर की लगज़िशें ढूँढने आया था। (हयातुल हैवान, लिल्दमेरीः १/४७- कंजुल उम्मालः १४/२२६)

६) दौरे फ़ारूकी में एक बार सख़्त क़हेत पड़ा। हर तरफ़ ख़ाक उड़ती थी। इस लिए इस साल का नाम ही ''आम्मुर्-रमादा'' हो गया। उस ज़माने में रिआया के लिए फ़ारुक़े आज़म की बेचैनी क़ाबिले दीद थी। गोश्त, चर्बी ,घी सब तर्क कर दिया। सिर्फ़ रोगने ज़ैतून और बे छने आटे की रोटी पर गुज़र बसर थी। सूखे की वजह से पेट बजने लगा, मगर हज़रत फ़ारूक़ फ़रमातेः बजता रह, तेरे लिए हमारे पास रोग़ने ज़ैतून के सिवा कुछ नहीं। यहाँ तक कि लोगों की हालत दुरुस्त हो जाये, उनके

गुलाम असलम का बयान है कि हमें ऐसा लगता था कि अगर क़हेत दूर न हुआ तो मुसलमानों के ग़म में हज़रत उमर की मौत हो जाएगी।

उसी ज़माने में अपने एक छोटे बच्चे के हाथ में ख़रबूज़ा देख लिया, फ़रमायाः अरे अमीरुल मोमिनीन के बेटे! तू फल खा रहा है और उम्मते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से लाग़र हुई जा रही है। बच्चा रोता हुआ भागा। बाद में हज़रत उमर को बताया गया कि उस ने खजूरों की गुठलियाँ जमा करके एक मुट्ठी गुठलियों के बदले किसी तरह ये खाने की चीज़ हासिल की है, ये मालूम हुआ तो खामोश हुए। (कंजूल उम्मालः १४/२५६ ता २५६)

इस बाब में वाक़ियात बेशुमार हैं, सबको जमा करना मुमकिन नहीं। न ही ऐसे अहसासे ज़िम्मेदारी, रिआया के लिए अमीर कि बेताबी, और रिआया कि ख़ातिर खुद हर लज़्ज़त व राहत से किनाराकशी की मिसाल मुमकिन है।

हुकूमतो सल्तनत के बाब में मातेहत हुक्काम को सीधे रास्ते पर रखने की ज़िम्मेदारी शायद सारे कामों से ज़्यादा मुश्किल और अहम है। अगर ख़लीफ़ा या सुल्तान बज़ाते खुद अमानतदार, क़ौम और मुल्क का सच्चा हमदर्द, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए शबो रोज़ सरगर्दा है मगर ज़ेरे दस्त हुक्काम ऐशो आराम के रसिया, रिश्वत सतानी के खूगर, क़ौमी मिल्कियत को ज़ाती मिल्कियत में तबदील करने की तरकीबों के माहिर, अपने फ़राईज़ से लापरवाह, सिर्फ अपने लोगों की खुशहाली के जोया, दूसरों पर जुल्मो सितम और उनकी हक़ तलफ़ी के आदी, मुल्को क़ौम की तरक्क़ी और भलाई के लिए हमदर्दाना सोच और जफा कुशाना अमल से खाली हों तो सिर्फ़ एक सुल्तान या चंद ख़ास वुज़रा की अमानतदारी कोई रंग नहीं ला सकती। और अगर सुल्तान और उमरा सब बिगड़ चुके हों तो फिर हक़, इंसाफ़, एहसासे ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ की अदायगी नाम की कोई चीज़ मुल्क भर में मिलना बहुत मुश्किल है।

इस बाब में खुलफ़ाए राशिदीन का अमल सारी दुनिया के लिए

रहनुमा और ताज़ियानाए इबरत है। आईए देखें! इस सिलसिले में उनके अख़लाक की पुख़्तागी औए किरदारो अमल की मज़बूती कहाँ तक पहुंची हुई है।

१) मिस्र का एक शख़्स हज़रत उमर रदीयल्लाहु अन्हू के पास मदीना आया। अर्ज़ कियाः अमीरुल मोमिनिन! मैं जुल्म की फ़रयाद लेकर आप के यहाँ पनाह लेने आया हूँ। फ़रमायाः तुमने जाए पनाह की पनाह ली। उसने बयान किया के मिस्र के गवर्नर अम्र बिन आस के बेटे से घोड़ा सवारी में मुक़ाबला किया और उस के आगे निकल गया तो वह मुझे कोड़े से मारने लगा और कहने लगाः मैं अशराफ़ का बेटा हूँ। उस पर हज़रत उमर ने हज़रत अम्र बिन आस को लिखा कि अपने बेटे को लेकर मदीना हाज़िर हों। आने पर मामला पेश हुआ। हज़रत उमर ने फ़रयादी से फरमायाः ये कोड़ा ले और इसे ज़र्ब लगा, वह मारने लगा और हज़रत उमर फ़रमा रहे थः "अशराफ़ के बेटे को ज़र्ब लगा" हज़रत अनस फ़रमाते हैंः वह मार रहा था और हमें उसका मारना पसंद था। वह उस वक़्त रुका जब हमारी आरज़ू पूरी हुई कि अब बस करदे। फिर मिस्री से हज़रत उमर ने फ़रमायाः कोड़ा अम्र की चुंदया पर रख दे। मिस्री ने अर्ज़ कियाः अमीरुल मोमिनीन! इनके बेटे ने मुझे मारा था, और मैंने उससे बदला ले लिया। फ़ारुक़े आज़म ने हज़रत अम्र से फ़रमायाः तुमने कब से इन्सानों को गुलाम बना लिया जबकि ये अपनी माओं के पेट से आज़ाद पैदा हुए। उन्होने अर्ज़ कियाः अमीरुल मोमिनिन! इस क़िस्से का न मुझे इल्म हुआ, न ये मेरे पास फ़रयाद लाया। (कंजुल उम्मालः १४/३०६)

२) मलीह बिन औफ़ सुलमी फरमाते हैं कि हज़रत उमर को ख़बर मिली कि कूफ़ा के गवर्नर सअद बिन अबी वक्कास ने अपना शानदार फाटक बनवाया है, और डेवढ़ी भी बनवाई है। इस पर उन्होंने मुहम्मद बिन मस्लमा को भेजा, और उनके साथ मुझे भी जाने का हुक्म दिया क्यूंकि शहरों और रास्तों की रहनुमाई मैं ही करता था। अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया था कि फाटक और डेवढ़ी में आग लगा देना। मुहम्मद बिन

मस्लमा ने कूफ़ा पहुँच कर इसकी तामील की। दूसरी शिकायत ये पहुंची थी कि खुम्स का माल बेचने में सअद ने कुछ जानिबदारी से काम लिया है। इस पर ये हुक्म था कि सअद को अहले कूफ़ा के सामने मसाजिद में खड़ा करके इस मामले की तफ़्तीश करो। उन्होंने इस की भी तामील की, मगर किसी शख़्स ने इस तरह की कोई बात न बताई बल्कि सब ने हज़रत सअद की तारीफ़ की। (तबक़ात इबने सअद- कन्जुल उम्मालः

अद्ल व मसावात

१४/३०६)

३) हज़रत उमर का हुक्म था कि तमाम हुक्काम मौसमे हज में मक्का आयें, इस मौक़े से हज़रत उमर सब के सामने ऐलान करते कि किसी को अपने हाकिम से शिकायत हो तो पेश करे। मैं उसका इंसाफ करूंगा। मैंने उम्माल को इस लिए मुकरर नहीं किया कि तुम्हें मार पीट करें या तुम्हारे माल व आबरू पर दस्त दराज़ी करें। मैंने इनको इस लिए भेजा है कि तुम्हें दीन की तालिम दें और तुम्हारे नबी की सुन्नत सिखायें। जिसके साथ इसके ख़िलाफ़ सुलूक हो वो पेश करे, मैं बदला दिलाऊँगा।

एक बार ये ऐलान फ़रमाया तो पूरे मजमए हज से सिर्फ एक शख़्स खड़ा हुआ और कहा कि मेरे आमिल (अम्र बिन आस) ने मुझे सौ कोड़े मारे हैं। हज़रत उमर ने तफ़्तीश की और फ़रयादी से फ़रमायाः उठ अपने गवर्नर से बदला ले। हज़रत अम्र ने कहाः अमीरुल मोमिनीन! अगर आप ने उम्माल के ख़िलाफ क़िसास का दरवाज़ा खोला तो उन पर बहुत गिरां होगा, और आपके बाद भी ये होता रहेगा। फ़रमायाः मैं आमिल से क़िसास क्यूँ न दिलाऊँ जब्कि मैंने रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि अपनी ज़ात से क़िसास दिलाते। उठो फ़रयादी! तुम बदला लो। अम्र ने कहाः इजाज़त दीजिये हम इसे राज़ी कर लेते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने फ़रमायाः वो माफ़ करदे तो कोई हर्ज नहीं। गवर्नर ने उसे दौ सौ दीनार देकर राज़ी किया, हर कोड़े के बदले दौ अशर्फ़ी। (किताबुल

ख़िराज, लिल-इमाम अबी युसुफ़ः २४३- कंजुल उम्माल, १४/३०७)

४) हज़रत अबू मूसा अशअरी ने हज़रत उमर की ज़ौजा आतिका बिंते ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल को एक दुपट्टा हदिये में भेजा। हज़रत उमर ने देखा तो अहलिया से पूछाः ये कहाँ से आया? अर्ज़ कियाः अबू मूसा ने हदिया किया है। हज़रत उमर ने दुपट्टा लिया और उनके सर पर मारा, उनकी सारी खुशी जाती रही। फिर हुक्म दिया कि अबू मूसा अशअरी को हाज़िर किया जाये। लोगों ने हीज़िर किया वो बिल्कुल थक गए थे। आते ही बोलेः अमीरुल मोमिनीन! जल्दी न किजियेगा। फ़रमायाः उमर की औरतों के पास हदिया भेजने की वजह क्या है? वो जवाब न दे सके। हज़रत उमर ने दुपट्टा उठाया और उनके सर पर मारा। फ़रमायाः इसे ले जाओ हमें इसकी ज़रूरत नहीं। (तबक़ात इब्ने सअद- इब्ने असाकिर- कंजुल उम्मालः १४/ २१७)

इस तरह की बहुत सी मिसालें दीगर खुलफ़ा ए राशिदीन की सीरत का भी रौशन बाब हैं। और फ़ारूक़े आज़म के यहाँ तो इसकी बहुत सी नज़ीरें मौजूद हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े सूबों के गवर्नर अपनी सारी ताक़त के बावजूद हुकमे फ़ारूक़ी के खिलाफ़ सैकड़ों मील दूर रह कर भी दम नहीं मार सकते थे।

हर हुकूमत और हर हाकिम की जानिब से अद्लो मसावात का चर्चा होता है, मगर अद्ल होता है या नहीं? ये मुआमलात को करीब से देखने वाले ही जानते हैं। जहां कोई ताक़तवर, मालदार, क़राबातदार, दोस्त या ताल्लुकाती हुआ फ़ैसला उसी के हक़ में होता है। फ़रीक़ैन में कोई अगर ऐसा नहीं तो रिश्वत हर इंसाफ का खून करने के लिए काफी है। हुक्काम की लालच व हिर्स के सामने मज़्लूमों, नादारों और कमज़ोरों की हर तदबीर बेकार है। मज़ीद ज़ुल्म ये है कि अपनी तदाबीर, अपनी चर्ब-ज़बानी और अपने ज़राए इबलाग़ से मज़्लूम को ज़ालिम और ज़ालिम को मज़्लूम बावर करा देना उन का रोज़ाना का मामूल है। जब आक़ाओं का ये हाल हो तो मातहतों का नंबर कुछ ज़्यादा ही होगा। किसी के पास

ज़मीर नहीं के अपने नफ़्स का मुहासिबा करे, और अपने किरदार में तब्दीली लाए। खौफ़े ख़ुदा से तो उन्हें वास्ता नहीं। रह गई शर्मे ख़ल्क़ तो उसका इज़ाला इनके बायें हाथ का खेल है, और बेहयाई जब हद से सिवा हो जाती है तो हर तरह की शर्म रुख़सत हो जाती है।

मगर ख़ुलफ़ाए राशिदीन ने जो रिकार्ड क़ायम किया है, वो रहती दुनिया तक के लिये दर्से इबरत है। उन्हों ने न सिर्फ ये कि अज़ीज़ों, क़राबतदारों और ज़ोर दस्तों से इंसाफ दिलाया बल्कि अपनी ज़ात से भी इंसाफ दिलाया। देखिये ये उनकी सीरत के कैसे ज़र्री और फ़कीदुल मिसाल वाकियात हैं:-

१) अहवाज़ के करीब वाक़े सरज़मीने बैरूज़ की फ़तह के बाद बसरा के गवर्नर हज़रत अबू मूसा अशअरी ने माले खुमुस एक वफ़्द के साथ दारुल ख़िलाफा मदीना भेजा। ज़ब्बह बिन हसन ने मुतालबा किया कि वफ़्द में मुझे भी शामिल कर दीजिये। अबू मूसा ने फरमाया: मैंनें तुम से बेहतर लोगों को इस काम के लिये मुन्तख़ब कर लिया है। इस पर ज़ब्बह ख़फ़ा हो गया। हज़रत अबू मूसा अशअरी ने ये किस्सा भी लिख कर वफ़्द के साथ अमीरुल मोमिनीन के पास भेज दिया। वफ़्द के बाद ज़ब्बह ने पहुँच कर हज़रत अबू मूसा की शिकायत दर्ज कराई कि उनहों ने ज़मीन दारों की औलाद से साठ गुलाम खुद ले लिये। अक़ीला नामी उनकी एक उनकी बाँदी है, जिसकी खुराक दोनों वक़्त लगन भर कर खाना है। नाप के दो पैमाने रखते हैं। ज़ियाद बिन सुफ़यान को बसरा के ऊमुर सुपुर्द कर दिये हैं। मशहूर हिजो गो शायर हुतैआ को इनाम में एक हज़ार दिया है। अमीरुल मोमिनिन ने आमिले बसरा को तलब किया और ज़ब्बह को भी सामने बुलाया। उसने अपनी शिकायत बताई कि उन्हों ने साठ गुलाम खुद रख लिये। अबू मूसा ने जवाब दिया: इन गुलामों के ज़िम्मे फ़िदया था, लोगों की रहनुमाई पर मैंने इनका फ़ीदया अदा कर दिया और फ़िदया का माल मुसलमानों में तक़सीम कर दिया। इस तरह ये गुलाम मेरे कब्ज़े में आ गए। ज़ब्बह ने कहा: अबू मुसा ने झूठ न कहा, और मैंने भी झूठ न

बोला। दूसरी शिकायत ये कि दौ पैमाने रखते हैं। इस पर अबू मूसा अशअरी ने फ़रमायाः एक क़फ़ीज़ मेरे घर वालों के लिए है। जिस से उनको गल्ला दिया जाता है, और एक क़फीज़ मुसलमानों का उन के क़ब्ज़े में है। वो उससे अपना ग़ल्ला लिया करते हैं। ज़ब्बह ने कहाः सच है और मैं भी झूठ न बोला। अक़ीला का ज़िक्र आया तो अबू मूसा अशअरी ख़ामोश रहे। हज़रत उमर ने समझ लिया कि इससे मूताल्लिक़ शिकायत दुरुस्त है। ज़ियाद को अफ़सर बनाने का ज़िक्र आया तो अबू मूसा ने फ़रमायाः मैंने उसके अंदर कमालो शर्फ और इसाबते राय देखी, इस लिये उसको काम सुपुर्द किया। हुतैआ को एक हज़ार देने की शिकायत पर उन्हों ने कहा कि वह अपनी हिजो से शुरफ़ा की आबरू रेज़ी करता है, मैंने माल देकर उसका मुंह बंद कर दिया। ये सब सुनने के बाद हज़रत उमर ने अबू मूसा अशअरी को बसरा वापस कर दिया और उन्हें हुक्म दिया कि ज़ियाद और अक़ीला को मदीना भेजें।

अक़ीला ज़ियाद से एक दिन पहले आई, उसे मदीना में रोक दिया। ज़ियाद आया तो दरवाज़े पर रहा। हज़रत उमर निकले तो ज़ियाद को दरवाज़े पर खड़ा पाया। हज़रत उमर ने ज़ियाद से कुछ सवालात किये। ज़ियाद की हालत, तंख्वाह, फ़राईज़, सुनन, कुरान से मुताल्लिक उमूर पूछे। जवाबात से हज़रत उमर ने समझ लिया कि ये शख़्स फ़क़ीह और साहिबे राय है। इस लिए उसे उसके काम पर बहाल रखा, और बसरा के उमरा को फ़रमान भेजा कि उससे मशवरा लिया करें।

ज़ब्बह के बारे में फ़रमाया कि वो अबू मूसा पर इस लिए ख़फा हुआ की एक दुनियावी काम उसको सुपुर्द न हुआ। उस्ने अबू मूसा के ख़िलाफ झूठ और सच दोनों बयान किये, उसके झूठ ने सच को भी खराब कर दिया। तुम लोग झूठ से बचो, इस लिये कि झूठ जहन्म में ले जाने वाला है। (तारीखुल उमम वल-ममलूक,अबू जाफ़र मुहम्मद बिन जरीर तबरीः ५/१७६- तबअ बैरूत - अल-कामिलः २/४२६)

२) जंगे सिफ़्फ़ीन में जाते वक़्त हज़रत अली रदीयल्लाहु अन्हु की

ज़िरह खो गई, जंग के बाद कूफ़ा वापस आए तो एक यहूदी के हाथ में ज़िरह पाई। यहूदी से फ़रमायाः ये मेरी ज़िरह है जो मैंने न बेची न हिबा की। यहूदी ने कहाः मेरी ज़िरह है और मेरे हाथ में है। अमीरुल मोमिनीन ने कहाः क़ाज़ी के यहाँ चलो। क़ाज़ी शरीह ने मामला पूछाः अमीरुल मोमिनीन ने बयान कियाः यहूदी से पूछा, तो उसने कहाः ज़िरह मेरी है, और मेरे कब्ज़े में है। क़ाज़ी शरीह ने पूछा। अमिरूल मोमिनीन आप के पास गवाह हैं? फ़रमायाः हाँ! हसन और क़ंबर गवाह हैं कि ज़िरह मेरी है। काज़ी ने कहाः बाप के हक़ में बेटे की गवाही मक़बूल नहीं। ज़िरह यहूदी के हाथ में रह गई, वो लेकर चलता बना, कुछ दूर जाने के बाद वापस आया और कहाः ये तो अँबिया का तर्ज़े अमल है। अमीरुल मोमिनीन होकर भी वो अपना मामला काज़ी के यहाँ लाए। काज़ी भी उन का है मगर उसने उन्हीं के ख़िलाफ फ़ैसला दिया। मैं इक़रार करता हूँ कि सिफ़्फ़ीन जाते हुए अली के हाथ से ये ज़िरह गिर गई थी, और मैंने उठा ली, मैं गवाही देता हूँ कि आप लोगों का दीन सच्चा है।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

लीजिये ये ज़िरह आप की है। अमीरुल मोमिनीन को उसके इस्लाम लाने की इतनी खुशी हुई कि उसे ज़िरह भी दे दी और एक घोड़ा भी दिया। (तरिखुल- खुलफ़ाः १८५- तरिखुल-कामिल, इब्ने असीरः २-७५०)

३) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदीयल्लाहु अन्हुमा ने कुछ ऊंट खरीदे और सरकारी चराहगाह में भेज दिये। फ़र्बा हो गए तो बेचने के लिए बाज़ार ले गए। फ़ारुके आज़म ने देखा तो दरयाफ़्त कियाः ये फ़र्बा ऊंट किसके हैं? बताया गया अब्दुल्लाह बिन उमर के हैं। अमीरुल मोमिनीन ने उन्हें तलब किया और कैफ़ियत मालूम की। उन्होंने अर्ज़ कियाः मैंने इन्हें खरीदा और चराहगाह में भेज दिया, उससे जिस तरह दीगर मुसलमानों को फायदा उठाने का हक़ है, मैंने भी वही फायदा उठाना चाहा। फ़रमाया अमीरुल मोमिनीन का बेटा होने की वजह से सरकारी मुलाज़िमों ने तुम्हारे ऊंटों की देख भाल की, खुद तुमने उस पर मुलाज़िम न रखा। इस लिए

इन्साफ़ ये है कि ऊंट बेच कर अपना रासुल माल ले लो और बाकी रक़म सरकारी ख़ज़ाने में दाखिल करो। (कंज़ूल उम्माल १४-३०७)

४) बनी मखजूम का एक शख्स अमीरे मुआवीया के बाप हज़रत अबू सूफियान के खिलाफ़ फारुके आज़म के पास फरयाद लाया कि उन्हों ने मेरी ज़मीन की हद के बारे में मुझ पर जुल्म किया है। अमीरुल मोमिनीन ने फ़रमायाः मैं उस हद को जानता हुँ, बारहा हम और मक्का के लड़के वहाँ खेला करते थे। जब मैं मक्का आऊँ तो मुम मुझ से मिलना। जब फ़ारूके आज़म मक्का पहुंचे तो वो मख़ज़ूमी हज़रत अबू सूफ़ियान को लेकर आया। हज़रत उमर उस हद तक पहुंचे और देखने के बाद फ़रमायाः अबू सूफ़ियान! तुमने हद में तब्दीली करदी, ये पत्थर यहाँ से उठाओ और वहाँ रखो। उन्हों ने इंकार किया तो उनको दुर्रा लगाया और फ़रमाया तामील करो, तुम्हारी माँ ना हो। अबू सूफ़ियान ने पत्थर उठाया और वहीं रखा जहां फ़ारूके आज़म ने हुक्म दिया। हज़रत उमर ने किबला रुख़ हो के कहाः अल्लाह! शुक्र है तेरा कि मैं अबू सूफ़ियान कि ख़्वाहीशे नफ़्स पर ग़ालिब आया और उसे हुक्मे इस्लाम की ताबेदारी पर मजबूर किया। अबू सूफ़ियान ने भी ख़ाना-ए-कॉबा की तरफ़ रुख़ किया और कहाः अल्लाह! शुक्र है कि मौत से पहले इस्लाम की ये वुकअत मेरे दिल को नसीब हुई कि हुक्मे इस्लाम की ख़ातिर मैंने उमर की ताबेदारी की। (कंज़ूल-उम्मालः १४/ ३१४)

५) अब्दुल्लाह बिन उमर रदीयल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैंः मैं जलूला की जंग में शरीक था। ग़नीमत आई तो चालीस हज़ार का सामान उसमें से मैंने ख़रीद लिया। हज़रत उमर के पास आया तो उन्हों ने फ़रमायाः बेटा! अगर मुझे आग में डालने का हुक्म हो और तुमसे कहा जाए कि फ़िदया देकर इसे छुड़ा लो तो क्या तुम फ़िदया देकर मुझे आज़ाद करा सकते हो। मैंने अर्ज़ कियाः खुदा की कसम! आप को जिस चीज़ से भी तकलीफ़ हो उससे रिहाई के लिए फ़िदया देने को तैयार हुँ। फ़रमायाः गोया मैं अपनी निगाहों से देख रहा हूँ कि माले ग़नीमत का जब तुम सौदा कर रहे हो तो

लोग कह रहे हैं: अब्दुल्लाह, रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, अमीरुल मोमिनीन

ज़िम्मियों की रिआयत

के बेटे हैं। अमीरुल मोमिनीन को सबसे ज़्यादा महबूब हैं, और वाकई तुम ऐसे ही हो, इस हालत में उनके नज़्दीक ये ज़्यादा पसंद होगा कि सौ कम करके दें बजाए इसके कि एक दिरम महेंगा करके फरोख़्त करें।

तक़्सीम की ज़िम्मेदारी मेरी है, और मुझ को जवाब दह होना पडेगा। मैं तुम को एक दिरम पर एक दिरम नफ़ा देता हूँ, कुरैश के किसी ताजिर ने जो नफ़ा पाया होगा, ये उन सब से ज़्यादा होगा। ये फ़रमा कर ताजिरों को बुलाया और दाम लगवायाए, उनहों ने चार लाख में खरीदा। अस्सी हज़ार हज़रत अब्दुल्लाह को दिये और तीन लाख बीस हज़ार हज़रत सअ़द बिन अबी वक़ास के पास इस फ़रमान के साथ भेज दिये कि मारका में शरीक होने वालों के दरमियान तकसीम फरमा दें और किसी का इंतेकाल हो गया हो तो उसके वुरसा को दे दें। (कंज़ुल-उम्माल, १४-३१८)

६) हज़रत अहनफ़ बिन कैस एक वफ़्द के साथ फारूके आज़म के पास फतहे अज़ीम कि खुशखबरी लेकर आए। अमीरुल मोमिनीन उन लोगों से अभी हालात की तफ़्तीश कर रहे थे कि एक आदमी खलल अंदाज़ हुआ, कहा: फुलां ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, मैं आप के पास इस लिए हाज़िर हुवा हूँ कि आप मेरे साथ चलें और मेरी फ़रियाद को पहुंचें। अपनी बात चीत के बीच अचानक इस ख़लल अंदाज़ी पर हज़रते फारूके आज़म को गुस्सा आया और दुर्रा उठा कर उसके सर पर दे मारा, और फ़रमाया: अमीरुल मोमिनीन जब तुम्हारी फ़रियाद सुनने के लिये बैठता है तो नहीं आते, और जब मुसलमानों के किसी काम में मश्गूल होता है तो आते ही कि फ़रियाद रसी कीजिये, फ़रियाद रसी कीजिये। वो शख्स टूटे दिल के साथ लौट गया। फिर अमीरुल मोमिनीन

को कुछ ख़्याल आया, और उसको वापस बुलवाया। वो हाज़िर हुआ तो कोडा उसके सामने रख दिया और फरमायाः "बदला लेला" उसने कहाः नहीं खुदा की क़सम! मैं उसे अल्लाह के वास्ते और आप की ख़ातिर माफ़ करता हूँ। फ़रमायाः इस तरह न होगा, या तो अल्लाह के लिये इसके सवाब की ख़ातिर माफ़ करो, या मेरी ख़ातिर माफ़ कर रहे हो तो मुझे बताओ। उसने कहाः मैं अल्लाह के लिये माफ़ करता हूँ। फिर वो वापस चला गया। अमीरुल मोमिनीन घर में गए, दौ रकअत नमाज़ पढ़ी, और मुसल्ले पर बैठ गए। कहने लगेः ऐ खत्ताब के बेटे! तू पस्त था, अल्लाह ने तुझे बलन्द किया, तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझे हिदायत दी, तू ज़लील था अल्लाह ने तुझे इज़्जत बख्शी, फिर तुझे मुसलमानों का हुक्मराँ बनाया। अब एक शख़्स तेरे पास फ़रियाद लेकर आया तो तूने उसे दुर्रा लगा दिया। कल रब्बूल आलमीन की बारगाह में हाज़िर होगा तो क्या जवाब देगा? इस तरह अपने नफ़्स को इताब करते रहे। अहनफ़ फ़रमाते हैंः ये मन्ज़र देख कर हमें ख़्याल हुवा कि ये रूए ज़मीन का सबसे बेहतर शख़्स है। (इब्ने असाकिर-कंजुल उम्माल, १४-३२१)

आज जिहाद और जिज़्या के ताल्लुक़ से इस्लाम पर बहुत कुछ ऐतराज़ किया जाता है। यहाँ पूरी बहस की तो गुंजाईश नहीं मगर मुखतसर ये अर्ज़ है कि ये ऐतराज़ात इस्लाम की हक़ीकत से बेखबरी के बाईस हैं। और इस बुनियाद पर हैं कि ये कोई आसमानी मज़हब नहीं बल्कि एक क़ौम का अपना वज़अ कर्दा मज़हब है, जब्कि हकीकत ये है कि इस्लाम ख़ुदा का नाज़िल किया हुआ दीन है। कुरआन अल्लाह का सच्चा कलाम है। और इसके कवानीन वज़ई (इन्सान के बनाए गए) नहीं बल्कि रब्बानी (खुदा के बनाए) हैं।

अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने अहले इस्लाम को इसका ज़िम्मेदार बनाया है कि वो खुदा की हिदायत सारी दुनिया में पहुंचायें और अल्लाह का कानून पूरी ज़मीन पर नाफ़िज़ करें। दुनिया से कुफ़्रो शिर्क, और ज़ुल्मो ना इंसाफी को मिटाएँ, और हक़ व अदल की बाला दस्ती क़ायम करें।

इसकी तामील में अहले इस्लाम ने सारी दुनिया को हक़ की दावत दी, और रूए ज़मीन पर हुक्मे इलाही नाफ़िज़ करने के लिये जान व माल से कोशिश की। दूसरी क़ौम अगर इस्लाम कबूल नहीं करती तो उस के लिये कम से कम ये था कि हुकूमते इस्लाम की मा-तहती क़बूल करे और हुकूमत उसकी जान व माल की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदार होगी, जिसके लिये उसे जिज़्या देना होगा।

जंगे यरमूक के वक़्त मुसलमानों को हम्स छोड़ कर मुहाज़े जंग दूसरी जगह बनाना था, इस्लामी सिपाह सालार ने हुक्म दिया कि जब हम ये शहर छोड़ कर जा रहे हैं तो यहाँ के लोगों की हिफ़ाज़त नहीं कर सकते, इस लिए जिज़्या की रक़म वापस करदी जाए। चुनांचे हम्स और उसके आस पास के लोगों से ली हुई जिज़्या की रक़म वापस करदी गई। इस इन्साफ़ पर वो दम हैरान हो गए थे, और रोते थे, दुआऐं करते थे कि ख़ुदा तुम्हें फिर वापस लाये। इस लिए कि मुसलमानों ने उन्हें जो आज़ादी और इज़्ज़त दी वो अपनी हुकूमत के साए में भी उन्हें हासिल न थी। इसके साथ जिहाद में आबादियाँ वीरान करने, दरख्तों और हरी खेतियों को बर्बाद करने की बिल्कुल इजाज़त ना थी। बूढ़ों, कमज़ोरों, औरतों को क़त्ल करना मना था।

आज जब किसी को ताक़त हासिल होती है तो वो लाखों इनसानों को बे-दरीग़ क़त्ल करता है। शहर के शहर वीरान कर देता है, और अपनी चलाने के लिये पूरी दुनिया को गुलाम बना लेने की कोशिश करता है और उसके हिमायती उसकी ये सारी कार्यवाही जाइज़ तसव्वुर करते हैं। अगर अपनी बालादस्ती के लिये कोई सब कुछ करने का हक़ रखता है तो ख़ुदा के क़ानून की बालादस्ती के लिये उसकी पूरी मख़लूक़ पर रहम व इन्साफ़ वाला क़ानून नाफ़िज़ करना क्युँ जुल्म समझा जाता है?

अब हमें ये देखना है कि ख़ुलफ़ाए राशिदीन के दौर में मुजाहिदीन को क्या हिदायत होती और ज़िम्मियों को क्या हैसियत दी जाती।

(१) सिद्दीक़े अकबर रदीयल्लाहु अन्हु ने यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान कि

इ

सर-परस्ती में शाम की जानिब लश्कर भेजा तो उन से फ़रमायाः मैं दस बातों की तुम्हें वसीयत करता हूँ:

१,२,३. किसी औरत या बच्चे या ज़्यादा उम्र के बूढ़े को क़त्ल न करना।

४- कोई फलदार दरख़्त न काटना।

५- कोई आबाद जगह वीरान न करना।

६- खाने की ज़रूरत के सिवा कोई बकरी या ऊंट ज़िबह न करना।

७- कोई खजूर का दरख़्त गर्काब (डूबा) न करना।

८- न ही उसे जला कर बर्बाद करना।

९- गनीमत में ख़ियानत न करना।

१०- बुज़दिली न इख़्तियार करना। (बैहकी, तारीखुल-खुलफ़ाः ९७)

(२) बैतुल मुक़द्दस के ईसाईयों ने समझौते के लिये ये शर्त रखी थी कि अमीरुल मोमिनीन खुद सुलह नामा लिखें। इस लिये फ़ारूक़े आज़म ने सफ़र किया और "जाबिया" पहुंचे, वहीं इस्लामी सिपाह सालार और बैतुल मुकद्दस के ईसाई उनसे मिले और ये सुलह-नामा लिखा गयाः

"ये वो अमान है जो अल्लाह के बंदे उमर अमीरुल मोमिनीन ने एलिया वालों को दी, ये अमान जान, माल, गिरजा, सलीब, बीमार, तंदुरुस्त और उनके मज़हब के सारे लोगों के लिये है। उनके गिरजों में सुकूनत न इख़्तियार की जाएगी, न उन्हें गिराया जाएगा, न उन गिरजों या उन की हदों में या सलीबों में कोई कमी की जाएगी, न उनका माल कम किया जाएगा, न दीन के मामले में उन पर कोई जब्र होगा, न किसी को ज़रर पहुंचाया जाएगा, न उनके साथ एलिया में कोई यहूदी सुकूनत पज़ीर रखा जाएगा, और एलिया वालों के ज़िम्मे ये है कि जैसे मदाईन वाले जिज़्या अदा करते हैं, ये भी अदा करें। और अपने यहाँ से रूमियों और चोरों को निकाल दें। उनमें से भी जो खुद से निकल जाए उसकी जानो माल को अमान है और उसके ज़िम्मे भी जिज़्या इसी तरह है जैसे ऐलिया वालों पर है, और ऐलिया वालों में से जो लोग अपने गिरजों और सलीबों

को छोड़ कर रूमियों के साथ जाना चाहें, उनको भी अमान है, यहाँ तक कि वो अपनी जाए अमन तक पहुँच जाएँ, उनके गिरजों और सलीबों से भी तअर्रुज़ न होगा, और ऐलिय में फूलां के क़त्ल से पहले के जो बाशिंदे हैं वो अगर रहना चाहें तो जिज़्या की अदायगी के साथ रह सकते हैं, और रूमियों के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, या अपने लोगों के पास दूसरी जगह जाना चाहें तो जा सकते हैं, जब तक उनकी खेती की कटाई न हो जाए उनसे कुछ वसूल न किया जाएगा।

जो कुछ इस नाविश्ता में लिखा गया उस पर अल्लाह का अहद है, और उसके रसूल का ज़िम्मा, खुलफ़ा का ज़िम्मा और मोमिनिन का ज़िम्मा है। जब तक कि वो जीज़्या अदा करते रहें, इस पर ख़ालिद बिन वलीद, अम्र बिन आ़स, अब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ और मुआ़वीया बिन अबी सूफ़ियान गवाह हैं।

दीगर मक़ामात के मुआहिदा नामों में भी इसी तरह जान व माल, गिरजों, सलीबों की अमान वगैरह का ज़िक्र है। (तारीखे तबरी ४/४३६-तबअ़ बैरूत, दारुल फिक्र)

(३) जब ज़िम्मियों ने मुसलमानों की वफ़ादारी और उनका हुस्ने सुलूक देखा तो मुसलमानों के मददगार हो गए, और मुसलमानों के दुश्मनों की ख़बरगीरी करने में लग गए। हर शहर के लोगों ने अपनी तरफ़ से कुछ जासूस इस काम पर लगा दिये कि वो रूम और शाहे रूम की ख़बर लाते रहें और ये मालूम करें कि अब वो क्या करना चाहते हैं। हर शहर में उन के क़ासिद ये ख़बर लाये कि रूमी बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रहें हैं और बड़ा लश्कर इकट्ठा कर लिया है। सरदाराने शहर ने अपने अपने वालीए शहर को इत्तेला दी, शहर के वालियान ने हज़रत अबू उबैदा को आगाह किया। हज़रत अबू उबैदा और मुसलमानों के सरदारों ने देखा कि मामला बड़ा संगीन है, और मुकाबले के लिये शहर छोड़ कर हमें बाहर किसी मुनासिब मक़ाम पर चढ़ाई करनी होगी, इस लिए शाम के गवर्नर हज़रत अबू उबैदा ने हर हाकिमे शहर को लिखा कि ज़िम्मियों से जो

जिज़्या और लगान लिया गया है वो वापस कर दिया जाए, और बता दिया जाए कि हम ने ये रक़म इस शर्त पर ली थी कि तुम्हारी हिफ़ाज़त करेंगे, लेकिन मौजूदा सुरते हाल में हम इस पर क़ादिर नहीं, इस लिये तुम्हारी रक़म वापस करते हैं। अगर हम को फ़तह हासिल हुई और हम वापस आए तो पहले की शर्त पर हम क़ायम रहेंगे। ये रक़म वापस की गई और ये बात बताई गई तो अहले ज़िम्मा ने कहाः खुदा तुम्हें वापस लाए और दुश्मनों पर तुम्हें फ़तह नसीब करे, तुम्हारी जगह अगर वो लोग होते तो कुछ वापस न करते और जो कुछ बचा है वो भी ले लेते, हमारे लिये कुछ न छोड़ते।

यरमूक में रुमीयों और मुसलमानों के बीच सख़्त लड़ाई रही। अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तह दी। अब हर शहर के वाली और मुसलमान उन शहरों में वापस आने लगे तो वहाँ के अहले ज़िम्मा उनका इस्तिकबाल करते और जो माल उन्हें वापस किया गया था, खुद लाकर देते जाते।

ये सुरते हाल जब उन शहर वालों ने देखी जिन से समझौता न हुवा था तो वो भी इसी शर्त पर सुलह के लिए तैयार हो गए। उन्हों ने जिज़्या अदा किया और अपने शहरों पर मुसलमानों को कब्ज़ा दे दिया। (किताबुल ख़िराज, लिल-इमाम इब्ने अबी युसुफः २८२ ता २८८)

हज़रत ख़ालिद बिन वलीद उंदुलिस की फ़तह के बाद हीरह पहुंचे तो वहाँ शाहे ईरान के मुक़र्रर कर्दा वाली इयास बिन क़बिसा ताई से ये बात चीत हुईः

"मैं तुम को अल्लाह की जानिब और इस्लाम की जानिब बुलाता हूँ, अगर तुम ने दावत क़बुल की तो तुम्हारे लिये भी वो हुक़ूक होंगे जो मुसलमानों के लिये हैं, और तुम्हारे ऊपर भी वो फ़रायज़ होंगे जो मुसलमानों के ऊपर हैं, ये अगर तुम को मंजूर नहीं तो जिज़्या अदा करो। अगर ये भी क़बूल नहीं तो सुन लो! मैं तुम्हारे पास ऐसी क़ौम लेकर आया हूँ कि तुम्हें जिस क़द्र जीने की लालच है उस से ज़्यादा उसे मरने

की हिर्स है। इयास ने कहाः हमें तुम से जंग की ज़रूरत नहीं, न ही तुम्हारे दीन में दाख़िल होना चाहते हैं। हम अपने दीन पर क़ायम रहेंगे और तुम्हें जिज़्या अदा करेंगे।"

हज़रत ख़ालिद ने नव्वे हज़ार सालाना जिज़्या की शर्त पर उनसे सुलह करली, और ये मुआहिदा हुवा कि उनका कोई गिरजा, कलीसा या क़िला तोड़ा न जाएगा, न ही नाक़ूस बजाने से रोका जाएगा, न त्योहार के दिन सलीब निकालने से रोका जाएगा, और वो कोई दग़ा न करेंगे, मुसलमानों में से कोई अगर इनके यहाँ से गुज़रेगा तो मज़हबे इस्लाम की रू से हलाल खाने के ज़रिये उनकी ज़ियाफत करनी होगी। उस वक़्त जो सुलह नामा तहरीर हुवा, उसके अल्फाज़ ये हैं:

"बिस्मिल्ला-हिर्रहमा-निर्रहीम.........ये अहले हिरह के लिये ख़ालिद बिन वलीद की तहरीर है कि रसूलुल्लाह सलल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़लीफा अबू बक्र ने मुझे हुक्म दिया कि यमामा से वापसी में अहले इराक़ के पास जाऊं और जहन्नम की वईद सुनाऊं। अगर वो क़बूल करलें तो उन्हें वही हक़ हासिल होगा जो मुसलमानों को होता है, और उनके ऊपर भी वो फ़र्ज़ होगा जो मुसलमानों पर होता है।

हुक्म के मुताबिक मैं हिरह पहुंचा। मेरे पास इयास बिन क़बीसा ताई चंद सरदाराने हिरह के साथ आया। मैंने उन्हें खुदा और रसूल की जानिब दावत दी। उनहों ने क़बूल न की तो मैंने उन के सामने जिज़्या या जंग की बात रखी। उन्हों ने कहाः हमें जंग की ज़रूरत नहीं। लेकिन जैसे दूसरे

ख़ौफ़े ख़ुदा

अहले किताब ने जिज़्या की अदाएगी पर सुलह की है, उसी शर्त पर हम भी मुसालेहत चाहते हैं।"

मैंने देखा कि सात हज़ार मर्द हैं। उनमें ग़ौर किया तो एक हज़ार अपाहिज या मअज़ूर मिले, उनको मैंने गिंती से ख़ारिज कर दिया। जिन पर जिज़्या हुआ वो छः हज़ार हुए। उन्हों ने नव्वे हज़ार की अदाएगी पर

मुसालेहत की। मैंने शर्त रखीः उन पर अल्लाह का अहद और वो मीसाक़ है जो अहले तौरात व इंजील से लिया गया है, कि वो न मुख़ालेफ़त करेंगे, न अ़रब व अजम के किसी मुस्लिम के ख़िलाफ किसी काफ़िर को मदद देंगे, न मुसलमानों के ख़ास मक़ामात का ग़ैरों को पता देंगे, उन पर इस से मुताल्लिक़ अल्लाह का अहद और वो मीसाक़ है जो उसने अहले तौरात व इंजील से लिया है, और वो सब से सख़्त अहदो पैमान जो किसी नबी पर लिया गया है। अगर उस अहद की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करें तो उनके लिये अमान और ज़िम्मा बाक़ी न रहेगा। और अगर इसकी देख-भाल करें तो किसी अहद वाले को जो हक़ दिया जाता है, उनके लिये भी होगा। और हमारे ज़िम्मे उनकी हिफ़ाज़त है, अगर अल्लाह ने हमें दुश्मनों पर फ़तह दी तो भी ये उस अहद पर रहेंगे। उनके लिये इस पर खुदा का अहद व मीसाक़ है।

उनके लिये मैंने ये भी रखा है कि जो शख़्स बूढ़ा होकर काम से क़ासिर हो जाए या जिसे कोई नागहानी आफ़त पहुँच जाए या मुहताज व नादार हो जाए कि उसके मज़हब वाले उस पर ख़ैरात करने लगें तो उसका जिज़्या साक़ित कर दिया जाएगा, और जब वो दारुल इस्लाम में रहे उसकी और उसके अहल व अयाल की किफ़ालत मुसलमानों के बैतुल-माल से की जाएगी। अगर वो दारुल-हिजरत या दारुल-इस्लाम से निकल कर किसी दूसरी जगह चले जायें तो उनका नफ़क़ा मुसलमानों के ज़िम्मे न होगा, और उनका जो गुलाम भी मुसलमान हो जाए उसे मुसलमानों के बाज़ार में खड़ा करके बग़ैर किसी कमी और उजलत के ज़्यादा से ज़्यादा दामों में फ़रोख़्त किया जाएगा और उसकी क़ीमत गुलाम के मालिक को दे दी जाएगी।

और वो जो भी पोशाक पहनते हैं, पहन सकते हैं, मगर जंगी लिबास की इजाज़त नहीं, न ही ये कि मुसलमानों का लिबास पहन कर उनके मुशाबेह हो जाएँ। अगर किसी को जंगी लिबास में देखा गया तो इस बारे में उस से पूछ-ताछ होगी, अगर कोई वजहे जवाज़ बताई तो ठीक,

वर्ना लिबास के बकद्र उसे सज़ा दी जाएगी। उन से मैंने ये भी शर्त रखी है कि जिस रक़म पर मुसालेहत हुई है उसे वसूल करके मुसलमानों के बैतुल-माल को अदा करना उनके उम्माल की ज़िम्मेदारी है। इस सिलसिले में अगर मुसलमानों से मददगार तलब करें तो उन्हें मुआविन दिये जाएंगे और मुआविन का ख़र्च बैतुल-माल से अदा होगा। (किताबुल-खिराज लिल-इमाम इब्ने अबी यूसुफ, २८८ ता २९०)

इन सुलहनामों से साफ़ ज़ाहिर है कि ज़िम्मियों के जान, माल, इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ और उनके मज़हब और मरासिम से अदमे तअ़र्रुज़ का ज़िम्मा लिया जाता, किसी भी दूसरी क़ौम के लिये इससे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ की मिसाल क्या है?

मुसलमानों के सारे अख़्लाक़ की अस्ल उनका ईमान व ख़ौफे खुदा है। ये ऐसी चीज़ है जो हर हाल में इंसान को अख़्लाके आलिया की दावत देती है। अगर ये न हो तो आर्ज़ी तौर पर या नुमाइशी तौर पर इंसान अच्छी बातें अपना सकता है मगर जब उसे किसी की आगाही या रुसवाई का डर न हो तो वो कुछ भी कर सकता है, इसी तरह कोई ताक़तवर और फ़ातेह किसी कमज़ोर व मफ़तूह से कोई भी सख़्त से सख़्त मुआहेदा करले लेकिन उस के अंदर अगर अहद शिकनी या बेवफ़ाई पर खुदा का ख़ौफ़ नहीं तो किसी भी वक़्त वो मुआहेदा की ख़िलाफ़ वर्ज़ी कर सकता है, और मफ़तूह व कमज़ोर उसका कुछ न बिगाड़ सकेगा। रह गया दुनिया में रुसवाई और बदनामी का डर तो झूठ की ज़्यादा से ज़्यादा इशाअत ऐसी ताक़त है जो किसी भी कमज़ोर के सच को आसानी से ज़ेर कर सकती है। दुनिया वही मानेगी जो सुनेगी। आज जो अख़लाक़ी गिरावट आ चुकी है, उसका सबसे बड़ा सबब ख़ौफ़े खुदा की कमी और दुनिया की हिर्स है। खुल्फ़ाए राशिदीन का हाल ये थाः

१) हज़रत अबू मूसा अशअरी रदीयल्लाहु अन्हु ने एक बार बैतुल-माल साफ़ किया, उस में एक दिरहम रह गया था, इत्तेफ़ाक से हज़रते उमर का कोई फरज़न्द (बेटा) वहाँ से गुज़रा। हज़रत अबू मूसा अशअरी

ने वो दिरहम उसे दे दिया। फ़ारुक़े आज़म ने बच्चे के हाथ में दिरहम देखा तो पूछाः ये तुझ को कहाँ से मिला? उसने बतायाः हज़रत अबू मूसा ने दिया है। अब हज़रत उमर हज़रते अबू मूसा के पास आये, फ़रमायाः तुम को मदीना में आले उमर से कमतर कोई घराना न मिला, तुम चाहते हो कि एक दिरहम के वास्ते उम्मत का हर फ़र्द उस एक दिरहम में उसकी जो हक़ तलफ़ी हुई है उसका मुतालबा लाए, और आख़िर में हम से सवाल हो। ये फ़रमाया और वो दिरहम लेकर बैतुल-माल में दाख़िल कर दिया। (कंजुल -उम्मालः १४/३१८)

२) हज़रत उमर ने हज़रत सलमान फ़ारसी रदीयल्लाहु अनहुमा से पूछाः मैं बादशाह हूँ या ख़लीफ़ा? उन्होंने कहा अगर आप ने इस ज़मीन से एक दिरहम या कमो बेश वसूल किया, फिर उसे वहाँ ख़र्च किया जहां उसे सर्फ़ करने का हक़ न था तो आप बादशाह हैं, ख़लीफा नहीं। ये सुन कर हज़रत उमर अश्क-बार हो गए। (तबकात इब्ने सअद- कंजुल-उम्माल, १४/ २१४)

३) हज़रत अबू बकर के एक बेटे का आख़री वक़्त था, वो बार बार अपने तकिये की तरफ़ निगाह डालता, उसकी वफ़ात हो गई, तो लोगों ने सिद्दीक़े अकबर से कहाः आप के फरज़न्द को हम ने बार बार ताकिया की जानिब मुंह करते हुए देखा है। तकिया हटाया गया तो उसके नीचे पाँच या छः दिनार मिले। हज़रत अबू बकर ने हाथ पर हाथ मारा और ईन्ना लिल्लाही व ईन्ना इलैहि राजिऊन'' पढ़ने लगे। फ़रमायाः ऐ फुलां! मैं नहीं समझता के तेरी जिल्द इन दीनारों का बोझ बर्दाश्त कर सकेगी।

४) अपने विसाल के वक्त सिद्दीके अकबर ने फ़ारुक़े आज़म को खौफ़े ख़ुदा की तल्क़ीन फरमाई, और ये वसीयत कीः

''ऐ उमर! अल्लाह का एक वो हक़ है जो रात में अदा होता है, वह उसे दिन में क़बूल नहीं फरमाता, और एक वो हक़ है जो दिन में अदा होता है, वोह उसे रात में कबूल नहीं फ़रमाता। यक़ीन जानो कि जब तक फर्ज़ अदा न किया जाए कोई नफ़्ल क़बूल नहीं होता। उमर! तूने देखा

नहीं कि रोज़े क़ियामत जिन की मीज़ाने अमल भारी हुई, इसी वजह से भारी हुई कि उन्हों ने हक़ की पैरवी की, और उनके हक़ का पल्ला भारी रहा और जिस मीज़ान में कल सिर्फ़ हक़ ही रखा जाएगा, उसे वज़्नी होना भी चाहिए। ऐ उमर! देखा नहीं कि रोज़े क़ियामत जिनकी तराजू-ए-आमाल हल्की हुई, इसी सबब से हल्की हुई कि उन्हों ने बातिल की पैरवी की, और बातिल उनके ऊपर हल्का रहा। और जिस मीज़ान में बातिल ही रखा जाए, उसे हल्का होना भी चाहिए। (कंज़ुल उम्माल, १४/१७७ -अलकामिल, इब्ने असीर २/२६८)

५) मिस्र के गवर्नर हज़रत अम्र बिन आस ने मुआ़विया बिन खुदैज को फतहे अस्कंदरिया की ख़बर देने के लिये मदीना फ़ारुक़े आज़म के पास भेजा। वो पहुंचे तो दोपहर का वक़्त था, सवारी मस्जिद के दरवाज़े पर बिठाई और खुद मस्जिद के अंदर चले गए। थोड़ी देर न गुज़री थी कि एक बाँदी आ गई कि अमीरुल मोमिनीन तलब फ़रमा रहे हैं। ख़ैरो ख़बर और खाना व ज़ियाफत के बाद हज़रत उमर ने मुआविया से पूछाः तुम मेरे पास आने के बजाए मस्जिद में किस ख़्याल से चले गए? उन्हों ने अर्ज़ कियाः मैंने सोचा दोपहर का वक़्त है, अमीरुल मोमिनीन कैलूला कर रहे होंगे। फ़रमायाः तुमने बुरा गुमान किया। सुन लो! अगर दिन को सोता हूँ तो रिआया का नुक़सान और उनकी बर्बादी है, और अगर रात को सोऊँ तो मेरा अपना नुक़सान और मेरी बर्बादी है। मुआविया इन दोनों बातों के होते हुए सोना कैसा? (कंज़ुल-उम्माल, १४/२२६)

रह गईं दूसरी चीज़ें जैसे बीमारों की अयादत, कमज़ोरों की मदद, गमज़दों की ताज़ियत, पड़ोसी की रिआयत वगैरह अख़लाके फ़ाज़िला... तो उन में खुलफाए किराम का हिस्सा औरों से ज़्यादा था। हज़रत उमर के पास सूबों से जब कोई वफ़्द आता तो उससे पूछते, तुम्हारे अमीर का क्या हाल है? वह तारीफ़ करते तो पूछतेः क्या वो बीमारों की अयादत करता है? क्या गुलामों की मिज़ाज पुर्सी करता है? क्या कमज़ोरों के साथ नेक बर्ताव करता है? क्या अपने दरवाज़े के बाहर लोगों की शिकायात

सुनने बैठता है? इनमें से किसी बात से मूताल्लिक़ अगर वोह नफ़ी में जवाब देते तो हज़रत उमर उस अमीर को माज़ूल कर देते। (तारीख़े तबरीः ५/२२२)

इन सब का नतीजा ये था कि उन्होंने क़ौम में आज़ादी की रूह फूँक दी, और अमीरों के लिए इत्तेबा-ए-हक़ के सिवा चारा न रहा। कमज़ोरों, बिमारों की इमदाद व अयादत उनकी तबीयत बन गई, और हर शख़्स ये समझता था कि किसी हाकिम ने अगर हम पर जुल्म किया तो एक ऐसी पनाह-गाह मौजूद है जहां ज़ालीमों का ज़ोर नहीं चल सकता। उन सब से बढ़ कर ये है कि खुद अमीरुल मोमिनीन की अगर गिरफ़्त होती तो वोह कबूले हक के लिए बाखन्दा पेशानी तैयार रहता,और उस का शुक्र गुज़ार होता,जिस ने उसे नाहक से रोका और हक की हिदायत कीथये सिर्फ इस लिए कि उनके दिलों में खुदा का खौफ और आखिरात पर ईमान था वो सच मान्ने के लिये खुशी खुशी राज़ी रहता और उस का शक्र गुज़ार होता जिस ने उसे नाहक़ से रोका और हक़ की हिदायत की। ये सिर्फ़ इस लिये कि उन के दिलों में खुदा का ख़ौफे और आख़िरत पर ईमान था। वह दुनिया की ज़िल्लत व रुसवाई को आख़िरात की रुसवाई और सज़ा के सामने कमतर समझते थे, और वहाँ की आफ़ियत को यहाँ की बड़ी से बड़ी आसाइश पर तरजीह देते थे।

मुहम्मद बिन मुस्लिमा वो जलीलूल कद्र सहाबी थे, जिन्हें हरज़त उमर गवर्नरों से मूताल्लिक़ शिकायात की तफ़तीश और खुले आम उनकी जांच के लिए भेजा करते थे। एक बार उनसे फ़ारूक़े आज़म ने पूछ लियाः तुम मुझे कैसा पाते हो? तो उन्हों ने कहाः ख़ुदा की क़सम आप को वैसा ही पाता हूँ जैसा की मैं चाहता हूँ, और जैसा हर वो शख़्स चाहता है जो आपकी भलाई चाहता है। मैं आप को माल जमा करने पर क़ादिर, ख़ुद माल से किनारा-कश और माल की तक़सीम में आदिल पाता हूँ। और अगर इन्साफ़ की राह से आपने ग़लत रास्ता इख्तियार किया तो हम आप को सीधा कर देंगे। जैसे तीर को आला से सीधा किया जाता है। हज़रत

फ़ारूक़े आज़म ने फ़रमायाः ख़ुदा का शुक्र है कि उसने मुझे ऐसी कौम में रखा है कि अगर मैं कज (टेढ़ा) हो जाऊँ तो वह मुझ को सीधा करदे। (कंज़ूल उम्माल १४-२१०)

ये वो बुलंद अख़लाक हैं जिनकी मिसाल किसी क़ौम के बड़े बड़े आबिदों और पारसाओं में नहीं मिल सकती, और जहांबानी व हुक्मरानी के बाब में ख़ुल्फ़ा-ए-राशिदीन जो एहतियातें बरती हैं, और जिस तरह क़ौम को राहत (आराम) पहुंचाई है, और ख़ुद को हर आराम से दूर रखा है, इसकी मिसाल किसी दूसरी कौम में मिलने की तवक़्क़ो एक ख़्याले ख़ाम से ज़्यादा नहीं। आज बातिल की कुव्वत और मुसलमानों की मुजरिमाना मुसलसल गफ़लत ने लोगों के लिये तरह तरह की ज़बान-दराज़ी का दरवाज़ा खोल दिया है। लेकिन हर इन्साफ़ पसंद और हक़ निगर ये फैसला कर सकता है कि आलमी अमन और दाइमी खुशहाली इस्लामी क़वानीन और रसूले इस्लाम और खुलफा-ए-राशिदीन की सीरत के इत्तेबा के बगैर हासिल नहीं हो सकती।

वसल्लल्लाहो तआ़ला व बारिक व सल्लिम अ़ला रसूलिहि व आलिहि व खुलफ़ाइहि व इत्तेबाइहि व इत्तेबाइहिम अजमईन।

علامہ محمد احمد مصباحی

ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی دیگر تصانیف

۱- تدوین قرآن ------------------ اردو

۲- امام احمد رضا اور تصوف ---------------- //

۳- تنقید معجزات کا علمی محاسبہ ---------------- //

۴- شادی اور آداب زندگی ---------------- //

۵- مواہب الجلیل لتجلیۃ مدارک التنزیل ۱۴۲۹ھ ---- عربی

۶- حدوث الفتن وجہاد اعیان السنن ۱۳۲۱ھ -------- //

۷- حاشیہ جد الممتار الجزء الثانی ---------------- //

۸- امام احمد رضا کی فقہی بصیرت ------------ اردو

۹- معین العروض ------------------ //

۱۰- فرائض وآداب متعلم ومعلم -------------- //

۱۱- خلفاے راشدین اور اسلامی نظام اخلاق -------- //

۱۲- رسم قرآنی اور اصول کتابت -------------- //

۱۳- رہنماے علم وعمل ---------------- //

۱۴- شرک کیا ہے ------------------ //

۱۵- نواے دل (مجموعہ خطبات) ------------ اردو

۱۶- امام احمد رضا اور جہان علوم ومعارف (ترتیب وتحقیق) اردو

۱۷- مقالات صدر العلما ---------------- زیر ترتیب

ملنے کا پتا

مِصبَاحی پَبلی کِیشن

مہروپور مُحمد آباد گوہنہ

MISBAHI PUBLICATION

Marupur Mohammadabad Gohna, Mau

Mob.818881 8465 / 9506191193